The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty-four Minutes past Fifteen of the Clock.

(MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF THE INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT ORDINANCE, 1974 AND INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL

SHRI MADHU LIMAYE (Banka): I beg to move:

"This House disapproves of the Industries (Development and Regulation Amendment Ordinance, 1974 (Ordinance No. 6 of 1974) promulgated the President on the 29th June, 1974"

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह अध्यादेश बहुत छोटा सा अध्यादेश है और इसका उद्देश्य भी बहुत ही सीमित है। इन्होंने अपने ज्ञापन में उसकी आवश्यकता इस तरह से निपादित की है :

"The Model Mills Nagpur Ltd., Negpur is one of the textile undertakings whose management was taken over on 18th July, 1958., initially for a period of 5 years and this period was being extended from time to time. However, the total period for which the management could be retained by Government was dueto expire on 17th July 1974. It, therefore, became necessary, in view of the declared intention of Government to nationalise this and other textile undertakings whose management has been taken over, to empower the Central Goverament to make an order extending the total period of continuance under Government management by a further period of two years over and above the period of fifteen years already provided in the Act."

मतलब माडल मिल की व्यवस्था और उसका इन्तजाम अपने हाथ में लेने के बाद 15 साल गुजर गए हैं। जब पहली बार इस मिल को चलाने के लिए सरकार ने ले लिया उसी समय से हम लोग सरकार से बार बार यह कह रहे थे कि इस मिल को तो आप ले रहे हैं लेकिन मान लीजिए इसको ठीक ठाक करने के बाद जब मुनाफा होने लगेगा तो क्या इसके जो मालिक हैं उनके हाथ मे फिर सौंप देंगे ? इसलिए उसी समय हम लोगों ने मांग की थी कि जिन जिन मिलो मे बदइन्तजामी है, जिनके बन्द होने का खतरा उत्पन्न हुआ है या बन्द हो चुकी हैं उन मिलो के इन्तजाम को जब हाथ म लिया जायेगा तो साथ साथ उनके राष्ट्रीयकरण के बारे म कोई फैसला सरकार को करना चाहिए। 15 साल हो गए एक जो छोटी सी बात है उसके बारे में भी आप लोग अपना दिमाग नही बना पाये हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि अनिर्णय की स्थिति बनी रही और आज यह अध्यादेश लेकर आपको आना पड़ रहा है।

सबसे पहले मैं यह सवाल उठाना चाहता हू क्या इस अध्यादेश को जारी करने की कोई आवश्यकता थी ? जो मामला 15 साल से आपके सामने पडा हुआ है क्या उसके बारे में इससे पहले आप फैसला नहीं कर सकते थे ? राष्ट्रीयकरण का विधेयक लेकर आप बजट सेशन मे, विगत साल के शीतकालीन सत्र में या उसके पहले कभी नही ला सकते थे ? लेकिन आपने कोई ध्यान नही दिया। हर चीज मे आपकी टाल-मटोल की नीति है। निर्णय आप करते नही है। अभी अभी चीनी आयोग की रपट आपके सामने आई, उसके बारे मे भी यही स्थिति है। एक अर्थ से यह रपट आपके सामने पड़ी हुई थी लेकिन चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे मे भी आपने कोई निर्णय नहीं किया। जब आप लोगों के बीच

[श्री मधु लिमये]

मे विभाजन हुआ और बम्बई में 1969 में आपका अधिवेशन हुआ तो आपने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पास किया था। आप चरणसिंह की और उसके बाद जो टी एन सिंह की सरकार बनी उसकी बुराई करते थे कि आप राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर रहे हैं। उस समय वह लोग कहते थे कि इसमें पूरे देश का सवाल है, देश के पैमाने पर फैसला किया जाये। बाद में आपकी कमटी बनी, उसकी रपट, आयी है, और अब सरकार कहती है इसका राष्ट्रीय स्तर पर विचार होना चाहिए। (व्यवधान)। तकरीबन वही बात है। अखबारों म यही आया है कि राष्ट्रीयकरण का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। मेमोरैंडम मे है क्या? उसका सवाल दण्डवते जी उठा रहे हैं। यह मेमोरैंडम आफ ऐक्शन नहीं है, यह है मेमोरैंडम आफ इनैक्शन। इसको छोडिये। मैं कहना चाहता हूं जिस तरह से चीनी मिलों के बारे मे आपने कोई निर्णय नहीं किया उसी तरह टेक्सटाइल मिलों के बारे मे भी कोई निर्णय नही किया। और यह मामला तो उससे भी गम्भीर है क्योंकि 15 साल से यह सामला आपके सामने है।

तो मेरा सबसे पहला आक्षेप यह है कि इन्होंने अध्यादेश जारी करने के अपने अधिकार का सरासर दुरूपयोग किया है। जो काम इनको विधेयक द्वारा बहुत पहले करना चाहिए था वह सब काम ऐन वक्त पर करने की इनकी आदत का नतीजा यह होता है कि जो अध्यादेश होता है, विधेयक होता है वह ठीक से ड्राफ्ट नही होता है और बाद मे उसमे बार बार परिवर्तन करने पड़ते है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि यह जो नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन है जिसके तहत अब 103 टेक्सटाइल मिलें हैं, मेरी इच्छा है सभी ऐसी मिलें जो सिक मिल्स हैं, बन्द हो गई हैं या बन्द होने वाली हैं उनको भी इस कार्पोरेशन के तहत दे देना चाहिए। उसके बाद कोई दीर्घकालिक नीति अपनानी चाहिए। इस वक्त म इसके सिर्फ दो पहलू रखना चाहता हूं। एक तो सरकार इन टेक्सटाइल मिलों का आधुनिकीकरण करें और उनकी पैदावार का एक हिस्सा केवल निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए रखें। पैदावार का एक हिस्सा एक्सपोर्ट के लिए हो लेकिन उसके लिए मिलों का आधुनिकीकरण जरुरी है। उसको आप कीजिए और उसमें पैसा लगाइये। दूसरा पहलू यह होना चाहिए कि बाकी पैदावार का जितना हिस्सा है, जो कपडा अन्तर्गत उपभोग के लिए बनता है, वह कोर्स कपड़ा हो। उसके लिए आप को एकदम नियम बना देना चाहिए कि जिस को कोर्स क्लाथ कहा जाता है, या अभी जिसको आपने लिया है ए-वेरायटी, मीडियम क्लाथ, वही होगा। और कपडा नही बनेगा। यानी साधारण जनता की जो आवश्यकता है उसी के अनुरुप कपडा नेशनल टेक्सटाइल कौरपोरेशन की जो मिल्स है वह पैदा करने का काम करे। इस बात की आवश्यकता इसलिये है कि आप की नालायकी के चलते कोर्स कपडे के उत्पादन के बारे मे जितने नियम आप ने बनाये उन पर कभी अमल नही हुआ।

इसी सदन म दो साल पहले मंत्री महोदय ने यह वकतव्य दिया कि मिलों के लिए यह नियम बनाया गया था कि उन की जो कुल पैदावार है उस का 25 फीसदी वह मोटा कपडा बनाये और आप जानते हैं कितना बनाया जाता था? गिरते गिरते मंत्री महोदय के कथनानुसार .6 फीसदी। 2.5 प्रतिशत की जगह 2.6 प्रतिशत तक पैदावार आयी। इसके लिये एक मामूली जुर्माना निश्चित किया गया था। लेकिन आप जानते है कि फाइन और सुपर फाइन में इतना ज्यादा मार्जिन था कि मिल वाले क्या करते थे कि कोर्स का कपड़े ओबलिगेशन पूरा करने के बजाय वह फाइन और सुपर फाइन पैदा करते थे उसमें मुनाफा कमाते थे, उसमें से और मामूली जुर्माना दे देते थे। इसमें भी

तारीफ की बात यह है कि जिनके हाथ मे कोहिनूर मिल है वे श्री कापडिया, यह मारुती के बडे इन्वेस्टर है, मैंने 1968 म मेमोरैडम दिया था लेकिन इनकी जाच करने की बजाय इन मे पैसा लिया जाता है। मेरी एक बात को भी आप काट नही सकते। क्या यह बात सही नही है कि जिन मिलो ने जुर्माना नही दिया है उन मे से 55 प्रतिशत बकाया अकेले कार्डियाग्रुप का है कापडिया ग्रुप ने केवल कार्म कपडे के नियमो का उल्लघन करते हैं, उन के ऊपर जुर्माना लगाया जाना है

MR DEPUTY SPEAKER What is the thrust of your argument?

श्री मधु लिमये थ्रस्ट यह है कि नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन गरीब जनता के लिये बडे पैमाने पर कोर्स कपडा बनाये।

MR. DEPUTY SPEAKER This Bill is only to extend the time by two years

श्री मधु लिमये देखो म यह छोटा सा बिल है।

म नेशनल टैक्सटाइल कोरपोरेशन की गतिविधियो के बारे मे और औद्योगीकरण के बारे में बोलना चाहता हू और केवल पृष्ठभूमि के रूप मे मैंने यह कहा, क्योंकि जनता की आवश्यकता पूरा नहीं करत। जुर्माना एक फर्जी चीज बन गई और वह जुर्माना भी नही देते, क्या विदेश व्यापार मत्री की हिम्मत है जुर्माना लेने की ? नही है। मोटे कपडे के बारे में सरकार की नीति चूकि गलत है और नेशनल टैक्सटाइल्ज कोरपोरेशन को अब आगे कदम बढाना है इसलिये मोटे कपडे की पैदावार पर जोर देना चाहता हू।

जहा तक निर्यात का सवाल है कुछ दिन पहले मैंने एक मुद्दा इस सदन के सामने रखा था।

MR DEPUTY-SPEAKER: You tell me very frankly, honestly You are a very knowledgeable Member Are all these matters relevant? They may be important But are they relevant?

श्री मधु लिमये : बिल्कुल। इसलिये है कि दो साल क्यों बढाया जा रहा है इन का नेशनलाइजेशन का प्लान है तो उसी के बारे मे मैं बोल रहा हू। ता राष्ट्रीयकरण के लिये दो साल माग रहे है। इसलिये मैं कह रहा हू दूसरा आपके कार्यक्रम का पहलू होना चाहिए निर्यात और उसके बारे में मैं कहना चाहता हू कि एक अर्से मे आप महीन लम्बे धागे वाली रुई इजिप्ट और सूडान से मगाते है। आश्चर्य की बात है कि अमरीका जैसा शक्तिशाली देश भी महीन कपडा बनाने के लिये इतना लाग स्टेपिल वाला काटन कभी नही मगाता। लेकिन जो दुनिया का सब से गरीब देश है वह अमरीका जितना मगाता है उससे दुगना, तिगुना काटन मगाता है। किस बात के लिए मुझको बताया गया निर्यात के लिए है निर्यात नही हो रहा है बल्कि इन्टर्नल कजम्पशन हो रहा है और उस पर जो मार्जिन है उस के चलते कोर्स कपडे का कार्यक्रम सफल नही हो रहा है इसलिये नेशनल टैक्सटाइल्ज कोरपोरेशन के लिये सुझाव दे रहा हू। अगर आपको एक्सपोर्ट का कोई काम करना है तो आप नेशनल टैक्सटाइल्स कोरपोरेशन को सुविधा दीजिये। निजि क्षेत्र के कारखानो को सुविधा न दीजिये।

800 करोड रुपये काटन के इम्पोर्ट पर खर्च किया गया आज तक। और किन लोगो के लिये इस देश की आबादी के एक फीसदी हिस्से के लिये कपडा बनाया जा रहा है। एक्सपोर्ट बिल्कुल नही होता है जो होता है वह गेज वगैरह होता है केवल मत्री महोदय कहते है कि एक्सपोर्ट के लिये इस्तेमाल होता है लेकिन उस की कोई फिगर्स मत्री महोदय नही दे पाये। पिछले सालो मे 800 850 करोड

रु० की विदेशी मुद्रा लौंग स्टेपिल काटन खरीदने के लिये खर्च की गई है और उस से देश के बड़े लोगों का फायदा हुआ, साधारण जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिये मेरा कहना है कि निर्यात और मोटा कपड़ा, इसी चीज़ पर पूरा मौडनाईजेशन का काम कीजिये नेशनल टैक्सटाइल्ज कौरपोरेशन के जरिये, और इस को ठीक ढंग से चलायें।

आपके यहां भी बड़ी बीमारी है जो दूसरे पब्लिक सैक्टर्स में है। मेरे पास नेशनल टैक्सटाइल्ज कौरपोरेशन की तीसरी रिपोर्ट है और इस में मैं देखता हूं, अब ऐडवान्सेज के बारे में देखिये पहले :

"Advances against release of pledged cotton, Rs. 70,90,650, shown under the head 'Loans and Advances—Unsecured Considered Good. In terms of clause 5(b) of the agreement, the Corporation advances money from time to time to India United Mills, Bombay, for the purchase of cotton. The cotton so purchased by the mill is pledged with the Corporation and the same is to be released against payment. The Corporation has released the cotton without payment being received. The accumulated losses of India United Mills, Bombay, are much higher than its paid-up capital and, therefore, in our opinion, the advance of Rs. 70,90,650 is considered doubtful."

यह आप की आडिट की रिपोर्ट है। डाउटफुल अग्रिम है 70,90,650 रु०।

Then—Unsecured Loans:

"The Corporation has advanced loans to the extent of Rs. 3,21,78,600 to various textile mills against the mortgage of movable and immovable assets. It is observed that the Corporation holds first charge on movable and immovable assets of mills only to the extent of Rs. 48,70,000 whereas in the other case, the Corporation holds second, third and fourth charge on the movable and immovable assets. In our opinion, loans to the extent of Rs. 37,30,000 is not fully secured. We are not furnished the mortgage deeds in respect of three mills for loans of Rs. 1,26,00,000. It is stated that the same are under finalisation."

तो एडवान्सेस के बारे में, लोन्स के बारे में जो नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन का इन्तजाम है, उस में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ है।

अन्त में मैं आप से कहना चाहता हूं कि नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के तहत जो मिलें हैं, इन के जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, ये लोग रुई खरीदने में, केमिकल्स खरीदने में और दूसरे स्टोर्स खरीदने में, पैसा बनाने के काम में लगे हुए हैं।

श्री राम सिंह भाई (इंदौर) : और कपड़ा बेचने में।

श्री मधु लिमये : एक एक कर के चलिये राम सिंह भाई जी। कुछ आप के लिए भी छोड़ता हूं।

फिर कपड़ों में एक्साइज की चोरी करने में निजी सैक्टर की तरह आप भी काम करते हैं, फैन्ट्स के अन्दर जिस की एक्साइज ड्यूटी कम होती है, बहुत सारा अच्छा माल निकाला जाता है फैन्ट के रूप में और उस को सस्ते में बेचा जाता है। उस में कुछ हिस्सा तो होलसेलर्स का रहता है और बाकी नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के अधिकारी खा जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सैक्टर को मुझे लगता है कि इन लोगों ने समझ रखा है कि बाप दादा की एस्टेट है और इस को बेच कर खा जाओ। इस से आज पब्लिक सैक्टर बदनाम हो रहा है, पब्लिक अन्डरटेकिंग्स बदनाम हो रही है। इस में जो घूसखोर अधिकारी हैं इसके खिलाफ आप जब तक सख्त कार्यवाही

[श्री मधु लिमये]

नहीं करते और नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के तहत जो जो मिल्स हैं उन के मजदूरों का जब तक आप सहयोग नहीं लेते, तब तक कुछ नहीं होगा।

मेरे पास दिल्ली के कुछ मिलों के लोग जो मिल सरकारी मैनेजमेंट में हैं, वे आए थे और उन मजदूरों ने कहा था कि अधिकारियों के खिलाफ़ उन्होंने कुछ आवेदन पत्र दिये थे। उन सारे आवेदन पत्रों को मेरे पास भी लेकर आए थे और मैं ने सरकार को इस बारे में लिखा था लेकिन इस के ऊपर किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई। तो एक ओर पब्लिक सक्टर बदनाम होता चला जा रहा है और प्राइवेट सैक्टर को भी उस में मजा आता है। यह प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिल कर हिन्दुस्तान की जो 60 करोड़ गरीब जनता है, उस को लूटने का यह काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि वे राष्ट्रीयकरण के बारे में एक योजना तत्काल सदन के सामने लाएं। आप ने संविधान को बदला है और "कम्पेसशन" की जगह "एमाउन्ट" कर दिया है, फिर आप को तकलीफ क्या है। जब आप का बिल पास हुआ था, उस समय मैं यहां नहीं था। 1971 में बहुत ढका पीटा गया था कि बड़ा परिवर्तन आ रहा है और गरीबों को बताया गया कि इन्दिरा गांधी जी अमीरों की सम्पत्ति छीनने जा रही हैं। लेकिन जो अपने सुपुत्र ही को करोड़पति बनाने के चक्कर में हैं, वे दूसरों की सम्पत्ति को कैसे छीन सकती हैं? आप ने केवल वोट के लिए ही ऐसा किया था। इसलिए मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जब कांस्टीट्यूशन में परिवर्तन किया गया है, तो अवाम के नाम पर ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप उन मिलों को तत्काल नेशनेलाइज करने का काम कीजिए, घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए और उन पर नियंत्रण रखिये। बस, मुझे इतना ही कहना था।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would like to understand. Mr. Madhu Limaye, you have criticised the National Textile Corporation. Are you opposed to this extension of two years? That is your resolution I want to get a clarification.

श्री मधु लिमये नहीं, नहीं। मैं इसलिये इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं कि इस अध्यादेश की क्या जरूरत थी? मेरा दूसरा प्वाइन्ट है कि 15 साल हो गये हैं...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Limaye, I think I have understood your point But, then, this Resolution seeks to disapproved the whole thing.

श्री मधु लिमये खुद मंत्री महोदय मानेंगे कि अगर सरकार सचेत रहती, तो पिछला सत्र जो इतना लम्बा चला, उसमें यह विधेयक पास हो सकता था और यह अध्यादेश नहीं लाना पड़ता मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं।

MR DEPUTY-SPEAKER: That is all right.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHR ZIAUR RAHMAN ANSARI): I beg to move*:

"That the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय, जब मधु लिमये जी ने अपने भाषण पर बोलना शुरू किया था, तो मुझे थोड़ी सी आशा बंधी थी, उम्मीद बंधी

*Moved with the recommendation of the President.

थी कि जैसा कि यह एक मुख्तसर सा, छोटा सा बिल है और महदूद परपज के लिए लाया गया है, उस में कुछ ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है और मैं ऐसा समझ रहा था कि बहुत कुछ जो सरकार कहना चाहती थी इस बिल को लाने के सिलसिले में, वह मधु लिमये जी ने खुद कह दिया है, लेकिन उस के बाद जो उन्होंने तकरीर का सिलसिल बढ़ाया तो इस मुख्तसर से बिल में कामर्स मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और खुदा जाने उस का स्कोप इतना बढ़ा दिया कि मुझे यह मिश्रा दोहराना पड़ता है ।

"तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद मूलानी"

16.00 hrs.

उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक का परपज, मकसद बड़ा मुख्तसर है और जो इस विधेयक का मकसद है उस से मधु लिमये जी ने इंकार नहीं किया है और मैं ऐसा समझता हूं कि इस हाउस में गालिबन एक यूनेनीमिटी होगी, सब की एक राय होगी, कि ऐसे मिलों को जो कि सिक मिल है और नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन ने जिन को अपने कन्ट्रोल में लिया था, अपने इन्तजाम में लिया था, उन को नेशनेलाइज किया जाए । इस पर कोई दो राय गालिबन नहीं होगी । अलबत्ता यह बात सही है कि जो खास एतराज मधु लिमये जी को है इस महदूद बिल के सिलसिले में, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता जो बातें इस बिल के दायरे के बाहर की हैं, मैं इस बिल के दायरे में रह कर ही अपनी बात कहना चाहता हूं । एतराज अपनी यह है कि इस अध्यादेश को इस सिलसिले में लाने की क्या जरूरत थी । अध्यादेश सरकार कुछ मजबूरियों में और कुछ परिस्थितियों में लाती है और मैं इस बात को मानता हूं कि यह अध्यादेश न लाने पाते तो यह बात बेहतरह होती, अच्छी होती और इस बात को पहले से देखा जाना चाहिए था कि अगर हम को नेशनेलाइज करना है, तो अध्यादेश लाने की जरूरत न पड़े और वक्त खत्म होने से पहले हम बिल ले आए, लेकिन जो हालात उपस्थित हो गये थे वे यह थे कि 103 मिलों को मुख्तलिफ वक्तों में सरकार ने अपने कन्ट्रोल में किया था और उन 103 मिलों में से, सन् 1959 से सन् 1972 तक जो उन का एक सिलसिला चला, 57 टैक्सटाइल मिल्स कन्ट्रोल में ली गई और उस के बाद 31 अक्तूबर 1972 से 46 टैक्सटाइल मिल्स लिये गये । इन मिलों को जिस वक्त हमने यह फैसला किया था कि सरकार अपने कन्ट्रोल में ले ले, उस वक्त यह मंशा नहीं थी कि उन को नेशनेलाइज ही करना है । इन्डस्ट्रीज डवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन एक्ट के तहत जब हम किसी भी इन्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग को अपने कन्ट्रोल में, उसका निजाम संभालने के लिए उस का इन्तजाम करने के लिए अपने हाथ में लेते हैं तो लाजमी तौर पर शुरू में हमारी यह नियत नहीं होती है कि हमें उस को नेशनेलाइज करना ही है ।

हमारी मंशा है कि इनका निजाम ठीक तौर पर हो जाए । हमारी किसी तरह की बदनियती नहीं होती है । एक अर्से के बाद अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमको उनका नेशनलाइजेशन करना है तो नेशनलाइजेशन के लिए हम को अलग से बिल लाना पड़ता है । इन्डस्ट्रीज डिवेलेपमेंट और रेग्युलेशन एक्ट के तहत हम किसी मिल का नेशनलाइजेशन नहीं कर सकते हैं । उसके लिए अलग से बिल लाना होगा। इन्डस्ट्रीज डिवेलपमेंट और रेग्युलेशन एक्ट के तहत हम एक महदूद वक्त के लिए

ही उसका इंतजाम अपने हाथ में लेते हैं और इंतजाम को इम्प्रूव करने के लिए ही ऐसा करते हैं जो बदइंतजामी की शक्ल में है और उस मुद्दत के बाद हम को उनको अगर मालिको को लौटाना होता है तो उनको लौटा देते है। लेकिन अगर हम इस नतीजे पर पहुचते हैं कि यह पब्लिक इंटरेस्ट मे है कि उस अंडरटेकिंग का नैशनलाइजेशन किया जाए तब फिर हम उसके लिए अलग से बिल लाते है। एक स्टेज ऐसी आई जब हमने यह महसूस किया कि सारी की सारी 103 मिल्ज का नैशनलाइजेशन किया जाए। तब महसूस हुआ कि जो वक्त उस मे लगेगा उसके प्रासेस मे कुछ डिफिकल्टीज है और उन मे से एक मिल ऐसी थी जिस की तरफ श्री लिमये जी ने भी इशारा किया है उसके मुताल्लिक जो हमे कार्रवाही करनी थी उसको नही कर सकते थे, पद्रह साल के अन्दर हमे यह कर लेना चाहिये था लेकिन .

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) नागपुर की ही तो मिल है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी यह सही है कि यही एक मिल है। लेकिन हम 102 का कर दे और एक मिल को छोड दे तब फिर हम इस अगस्ट हाउस मे इस क्रिटिसिज्म का शिकार बन सकते थे कि उसको क्यो छोडा गया है। इसलिये हम वह बात नही करना चाहते थे और हम चाहते थे कि जो हमारी पालिसी है वह यूनिफार्म हो सारी की सारी 103 मिलो पर वह लागू हो। इस वास्ते चूकि वक्त नही था इस वास्ते हमने एक अध्यादेश जारी करके उस पद्रह साल की अवधि को जो हमारे एक्ट में थी दो साल बढाया और इसलिये बढाया कि हम इन सारी 103 मिलो का एक साथ नैशनलाइजेशन कर सकें, उनके लिए कानून एक साथ ला सकें। मौजूदा बिल उसी आर्डिनेंस की जगह लेने के लिए लाया गया है। यह एक बहुत ही मुख्तसिर सा बिल है और इस में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि पद्रह साल के लिए हमने जिन मिलो को अपने कंट्रोल में लिया था उनको वापिस अगर उन मैनेजमेंट्स को करना है जिन से उनको लिया था तो सतरह साल के बाद करेंगे और अगर उनका नैशनलाइजेशन करना है तो भी इस अवधि में कर लेंगे। वह सतरह साल सब के लिए लागू होगा। सतरह साल तक हम रख सकते हैं अपने कंट्रोल मे। अभी तक वह पद्रह साल था। पद्रह साल के बाद यह लाजिमी था कि हम उसके मैनेजमेंट को उन लोगो के सुपुर्द कर दे जिनसे हमने लिया था। अब हम पद्रह के बजाय सतरह साल तक रख सकते है। सतरह साल के बाद नैशनलाइजेशन करना चाहे तो नेशनलाइजेशन कर सकते हैं वर्ना वे मिलें इस मुद्दत के बाद आटोमैटिकली जिन मे ली गई थी उनको वापिस हो जाएगी। यह एक मुख्तसिर सा बिल है और मै समझता हू कि इसको स्वीकार करने मे इस हाउस को कोई आपत्ति नही होगी।

नैशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन वगैरह के बारे मे यह बोले है। ऐसे सवाल भी उठाए गए है जिन को तब उठाया जा सकता है जब नेशनलाइजेशन के बारे मे फैसला हो जाए और उस बिल को हम यहा लाए ? जब नैशनलाइजेशन का बिल आएगा तो उसका स्वरूप क्या हो, किन लोगो के सुपुर्द किया जाए, किस तरह की रूपरेखा हो उस वक्त इन तमाम सवालो को उठाया जा सकता है और उनका जवाब भी दिया जा सकता है। तभी इस सब को उठाने का असल वक्त होगी।

इन शब्दो के साथ मैं प्रर्थना करता हूं कि इस बिल पर विचार शुरू किया जाए।

श्री मधु लिमये . मैनेजमेंट के बारे में कोई एकाउंट नही देंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister has said that the purpose of the Bill is limited; that may be so and it is perceptibly so. What I would like to know from him before we go further is this. This policy of taking over the management of certain mills or industries with the idea of ultimately nationalising them has been before this House for the last two or three years, as far as I understand.

SHRI MADHU LIMAYE: 15 years.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This policy of taking over with the idea of ultimately nationalising them and not handing them back to the management has been here for the last two or three years that I have been here. Now, he is not proposing to nationalise all the 103 mills all at a time because the period of fifteen years begins from the date of their taking over? I think that that is the correct position...

SHRI VASANT SATHE (Akola): No, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The period of 15 years begins from the date of taking over.

SHRI VASANT SATHE: Whenever the nationalisation is done, it will be done simultaneously.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me explain it. Suppose you take over the management of a particular mill at a particular period, and you can retain the management for a certain period, which is now 15 years and which you would now like to extend to 17 years. But the nationalisation will have to be at different periods because the taking over takes place at different times.

SHRI MADHU LIMAYE: Nationalisation can be done simultaneously.

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI: That is not the position. The position is like this that within this period of 17 years, which was originally...

SHRI MADHU LIMAYE: Government were not able to make up their mind. That is what he wants to tell the Deputy-Speaker?

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI: Originally it was 15 years, and for 15 years, the Government could retain the management of those mills which had been taken over...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me put a simple question now. How many mills are there the management of which has been taken over? I think he said 103. Is it his proposal that within this extended period, he would nationalise all these 103 mills?

SHRI VASANT SATHE: Correct.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then, there might be some justification there.

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI: Yes, that is it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That was the point on which I wanted to seek clarification from him. 15 years from which date?

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI: A decision has been taken to nationalise all the 103 mills which are presently under the management of the National Textile Corporation. The decision has been taken...

MR. DEPUTY-SPEAKER: From which date?

SHRI VASANT SATHE: From different dates.

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI: There seems to be some confusion.

These mills have been taken over on different dates.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That was what I was saying at the beginning.

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI: If within a period of 17 years we nationalise those textile mills....

MR. DEPUTY-SPEAKER: The position is very clear now, and I understand it. I have said at the beginning that the taking over of management takes place at different dates, and this Bill will enable Government to decide that within 17 years that particular mill will be nationalised...

SHRI MADHU LIMAYE: Let us hope so.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Here is where I feel that the question raised by Shri Madhu Limaye has relevance. Why did Government have to resort to an ordinance in relation to this one particular mill, the Nagpur Mills Ltd or something like that?...

SHRI VASANT SATHE: Modern Mills.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It has been with us for the last 15 years. This policy of nationalisation has been aired here in this House for the last two or three years. Why did Government have to wait till almost the last date of expiry before they resorted to ordinance?

SHRI M C. DAGA (Pali): Government could not take a decision.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Just 24 days before the expiry of the date they wake up suddenly and say that they have to do something and extend the period and come out with an ordinance.

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI: As a matter of fact, the decision to nationalise all these 103 textile mills is a recent decision taken by Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER: In the last two or three years.

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI: No, it is a recent decision.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not know, because when Shri Kumaramangalam was here....

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI: That may have been under discussion for 15 years. That is immaterial. As a matter of fact, the decision of Government to nationalise these 103 mills has been taken recently, not two or three or four years back.

MR. DEPUTY-SPEAKER: When was that?

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI: When this Ordinance was....

SHRI VASANT SATHE: In the statement of objects and reasons, it is stated 'subsequently the management of 46 textile undertakings was taken over on 31 October 1972 under the Sick Textile Undertakings (Takeover of management) Ordinance 1972. It was also decided in principle to nationalise all these 103 textile undertakings.'

MR. DEPUTY-SPEAKER: Two years ago.

SHRI VASANT SATHE: Two years ago, in 1972, the decision to nationalise was taken.

SHRI MADHU LIMAYE: He has not answered your question.

आप ने पूछा कि 20 दिन पहले ही इन की नीद कैसे खुली ? बजट सेशन मे नही खुली, विंटर सेशन मे नही खुली, इस का जवाब दिया?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Unfortunately that is how we function. We always function on an *ad hoc* basis

श्री मधु लिमये : वही मै ने कहा कि ऐट दी एलेवेंथ अवर करने है । एक कहावत है कि प्यास लगी तब कुआ खोदना शुरू कर दिया ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motions moved:

[Mr. Deputy-Speaker]

"This House disapproves of the Industries (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 1974 (Ordinance No. 6 of 1974) promulgated by the President on the 29th June, 1974."

"That the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Now the Statutory Resolution and the Bill are before the House.

SHRI NOORUL HUDA (Cachar): As you have rightly observed, the argument advanced by the Minister for promulgation of the Ordinance is most unconvincing. To us it appears this Government wants to rule by ordinance. It has become a habit with it.

Regarding this Bill, I wish to say that this Bill, at least the object and implementation of it, would clearly reveal that it is totally biased in favour of the employers, owners and industrialists. Generally, when are the sick units taken over? Experience of the last few years would clearly show that when certain owners, industrialists, amass a good amount of wealth after cheating the workers and employees, depriving them of their due share and also depriving the exchequer of due taxes, because of the mismanagement of the owners the mills or establishments face great difficulties and Government steps into the field and decides to take over the so-called sick mills or establishments. Thereby we find that the liabilities which the previous owners leave accrue to Government and the public exchequer and the owners are not held responsible.

This concept of nationalisation has been discovered very recently. But, previously, they used to say that after ten or fifteen years, these mills, after becoming viable, would be returned to the previous owners, previous managements etc. Sir, we are totally against nationalisation of industries with adequate compensation to the owners. We are totally against such nationalisation. If these sick mills or establishments are to be taken over by the Government, then, our contention is this. We have repeatedly stated on the floor of this House and some Members from the ruling party have also agreed that there should be no compensation to the owners; there should be no such payment to the owners for whose default, for whose mis-management, for whose callousness these mills have become sick or these mills or establishments have been facing crises. That is why, Sir, we are against the concept of nationalisation, with compensation.

Now, Sir, another thing which strikes us is this. When compensation is paid, what is the criterion of such compensation? What would be the quantum of compensation? Would it be judged by the present market value of the establishments or things like that? Three years back or five years back....

MR. DEPUTY-SPEAKER: That will come when the Bill to acquire these units comes up before the House.

SHRI NOORUL HUDA: So, such compensations, on principle, should not be paid to the owners. Even after taking over the sick units, another practice which the Government resorts to is to tell certain employees of these sick establishments that their services are dispensed with; they are forced to accept half pay, half of the payment which they were to receive from the previous owners. This sort of practice should be put an end to. Sir, that is why, I want to stress this point that in spite of the Government's loud mouthed pronouncements on the floor of the House, the way the industries are being taken over indicates a certain bias and that bias is towards the capitalist owners, but, that consideration is not shown to the workers and

employees of these sick mills or establishments. That is why, I would say, the whole purpose of the Bill is self-defeating. The Minister has said just now that the other mills would be nationalised after a certain period. But, the concept of nationalisation, the way the Bill has been framed and the Statement of Objects and Reasons which has been given to this House are self-defeating and the Bill that has come before us cannot be supported by us. That is why, I would say that the whole attitude of the Central Government, should be changed towards a concept which goes in favour of the working class, in favour of the working people and against the interests of the capitalists and the defaulting owners.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let us be brief and confine ourselves to the ambit of the Bill. Shri Ram Singh Bhai.

श्री राम सिंह भाई (इदौर) उपाध्यक्ष महोदय- अध्यादेश सहित इस बिल का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। इसका कारण यह है कि इस बिल के लाने से हमें यह उम्मीद हो गई है कि गवर्नमेंट अवश्य राष्ट्रीयकरण करेगी क्योंकि एक मिल के कारण ही यह 15 वर्ष से 17 की अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है बल्कि 50 मिलें ऐसी हैं जो 46 मिलें जब टेक ओवर की गई थी उसके बहुत पहले टेक ओवर की गई हैं और उनका भी समय ऐसा आ रहा है कि अगर यह दो साल की अवधि नहीं बढ़ाई जाती तो और मिलें भी पहले के प्रबंधकों के हाथ में सौंप दी जाती। जब तक 1972 में अध्यादेश के द्वारा 46 मिलें टेक ओवर नहीं की गई थी तब तक कारखानेदार टेक्सटाइल मिलों के मालिकों का यह रवैया था कि मिलों को कुछ नहीं, खूब लूटो और खाओ। जब तक सरकार टेक-ओवर करने आयेगी तब तक तो हम सारी मशीनों को उखाड़ कर ले जायेंगे। यह तरीका रहा। सड़ी हुई हालत में टेक ओवर कर सरकार उनको सम्भालती थी मजदूरों को आधा वेतन दे कर काम लेती थी, अपना पैसा लगा कर अच्छी हालत में बना उसको दुल्हन की तरह सजा कर वापस पहले के मालिकों को लौटा देती थी। किन्तु ये 46 मिलें जब अध्यादेश के द्वारा अचानक टेक-ओवर की गई, उस वक्त यह ऐलान किया गया— पार्लियामेन्ट के अन्दर—कि इन को अब वापस नहीं लौटायेंगे, इन सब का राष्ट्रीयकरण करेंगे तब से मिलों का बीमार पड़ना भी बन्द हो गया। इन 103 मिलों में से 33 मिलों का प्रबन्ध नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन कर रही है और 66 मिलों का प्रबन्ध राज्यों की टेक्सटाइल कारपोरेशंज के हाथ में है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं— इनका राष्ट्रीयकरण करने में आप जितनी देर लगायेंगे उतनी ही इनकी हालत खराब और बदतर होने जाती है। क्योंकि स्टेट्स नहीं चाहती है कि इनका राष्ट्रीयकरण हो या ये नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के अन्तर्गत चलाई जाय, क्योंकि इनमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग हित हैं अलग अलग नीतियों के हिसाब से वे मिलें चल रही हैं।

मेरे प्रदेश में तो हम चलाने में बराबर सहयोग दे रहे हैं। प्राइवेट सैक्टर में जो महूलियतें मजदूरों को मिल रही है वही स्टेट कारपोरेशन के अन्तर्गत श्रमिकों को दिला रहे हैं। उत्पादन भी बराबर दिला रहे है और मिसमैनेजमेन्ट पर भी ध्यान रख रहे है। लेकिन मैंने अन्य प्रदेशों की हालत देखी है। वहां स्टेट कारपोरेशन के अन्तर्गत जो मिलें चल रही हैं—वे क्या और कैसा कपड़ा बना रही है? जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं वे अपनी मिलों में फाइन और सुपर फाइन कपड़ा बनाते है, वे अपने माल को एक्सपोर्ट भी करते है और जो कोर्स मीडियम कट्रोल कपड़ा है, जो कपड़ा आपको फेयर प्राइस

[श्री राम सिंह भाई]

शाप्स मे बेचा जाता है, वे अपने कोटे का कपडा आपकी स्टेट कारपोरेशन के द्वारा इन मिलो मे तैयार कराते है, इस तरह से ये मिले चल रही है।

दरअसल मैं, मैंने दूसरे राज्यो मे देखा है—इन मिलो को कौन चला रहा है? वही लोग चला रहे है जिन्होंने इन मिलो को पहले बदतर हालत मे पहुचा दिया था, कोई नये टैक्नीशियन्ज या एक्सपर्ट्स लाकर नही बैठाये गये हैं। कुछ जगह जो उनके रमोइये थे, वे उन्ही मिलो मे आज वेलफेयर आफिसर बने हुए हैं—इस तरह से ये कारखाने चलने वाले नही है। इस लिये राष्ट्रीयकरण मे जितनी देर लगा रहे है उतना ही लास हो रहा है। इन 46 मिलो को जब से आप ने अपने हाथ मे लिया है—तब से पहले के मालिको को 100 लूम्ज पर 1 रुपया और 1000 स्पिण्डल्ज पर आठ आने प्रति महीना आप भाडा दे रहे है। उन मिलो को अच्छा करने के लिये लिया गया था उन्हे आप किराया भी देंगे, उन पर खर्चा भी करेंगे और उन्हे अच्छा बना कर वापस दे देंगे—यह बिलकुल बेकार की बात है। इस लिये जितनी जल्दी आप इनका राष्ट्रीयकरण करेंगे आपको जो हर महीने भाडा देना पड रहा है, वह भी नही देना पडेगा। क्योंकि राष्ट्रीयकरण करने पर मुआवजा तो देना ही होगा फिर भाडा और मुआवजा यह डबल रकम क्यो?

आपकी नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन और स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन्ज मे जहा तक नीति और कार्य का सम्बन्ध है कोई मेल नही है। अहमदाबाद की कारपोरेशन ने यह तय किया कि मजदूरो की जो बकाया रकम थी, टेक-ओवर का समय की, उसको कारपोरेशन धीरे-धीरे किस्तों मे दे देगी। यह भी तय हुआ था कि एक माह के वेतन जितनी किस्त की रकम इस माह दे दी जायगी। लेकिन आप की नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन ने आदेश दिया कि अभी पैसा मत दो। मेरी समझ मे नही आता—उन मजदूरों ने खराब समय पर कारखाने को चलाया, जब कि वह बन्द पडा हुआ था, श्रमदान कर के वहा की मशीनों की सफाई की और उसका श्रमिकों ने कोई वेतन नही लिया, आप ने मिले उसके बाद चलाई वेतन नही दिया। आप ने उनके साथ वायदा किया कि हम कमाकर पैसा देगें लेकिन काम कर रहे है उसके बावजूद भी आप पैसा देने से इन्कार कर रहे है। इस पर आपको तत्काल गौर करना चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि अहमदाबाद की मंजूर-महाजन ने अहमदाबाद की टैक्सटाइल मिलो के साथ वेतन बढोतरी का समझौता किया है। 45 से 50 परसेन्ट तक वेतन बढाये गये है। आपकी टैक्सटाइल कारपोरेशन के प्रबन्धकों ने भी यह तय किया कि हम इनको यह पैसा देगें। एक मिल मे हडताल भी हुई थी। किन्तु देने के आश्वासन पर चालू हुई। उसके बाद कुछ मिलो को दिया, लेकिन कुछ मिलो को नही दे पाये कि इसी बीच मे आपका अध्यादेश आ गया। मै निवेदन करना चाहता हू कि आपकी पालिसी सब के लिये एक होनी चाहिए। एक ही केन्द्र की टैक्सटाइल मिले हैं लेकिन कुछ को पैसा मिल गया और कुछ को नही मिला। यह नही होना चाहिए।

इन मिलो के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार को टैक्सटाइल के सम्बन्ध मे सारे देश के लिये एक ही पालिसी बनानी होगी। मिलो को अच्छे टेक्नीशियन्स द्वारा चलाना होगा। इस लिए मेरा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इनका राष्ट्रीयकरण करे। अगर राष्ट्रीयकरण नही करेगे तो ज्यादा नुकसान होने वाला है।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, I rise to support the Bill wit

some observations. The hon. Minister, while moving the Bill, has said that the period has been extended from 15 to 17 years. I do not know why this Government, which talks of socialism and nationalisation, should ponder over a matter for 17 years before taking a final decision on nationalisation of a textile mill. The history of the textile mills is well-known to us. All the big business houses, whether it is J.K. or Badauria, have practically converted the textile mills into junk and then forced the government to take over those mills. I fully agree with my hon. friend, Shri Ramjibhai that money to the tune of several lakhs have been spent for the modernisation and expansion of these mills by the Government. But when the machinery in the mill has been changed and it is working at a profit, it is handed over to the mill owner. This is happening over and over again, even though we have been pleading in this House that all such textile mills should be taken over by the Government and run either by the National Textile Corporation or the State Textile Corporation.

Now these 103 mills are likely to be nationalised. Still, my hon. friend, Shri Ziaur Rahman Ansari, who comes from Unnao—I come from Kanpur and only Ganges separates us—has not said when it is likely to be nationalised. Government must be clear on their policy. I want to know when these mills are going to be nationalised.

For instance, there is the Luxmi Rattan Cotton Mills in Kanpur, run by Shri Ram Rattan Gupta, one of the ex-members of this House, who after independence has evaded not merely sales tax, but income-tax, wealth-tax and gift tax, whose capital is evasion of tax. An investigation was held under the Act at the instance of the Central Government and a request was sent to the State Government that it should be taken over. The State Government wanted to take it over when the Industries Minister was somebody else. Later on, they suddenly realised that a particular mill has been paying bonus and so it cannot be taken over. He has not paid bonus for years together. This report was shelved. Still, wages have not been paid, bonus has not been paid and Government themselves have to receive Rs. 31 lakhs by way of income-tax arrears. He got it written off by the then Minister of State for Finance, Shri Gopala Reddi, who was later appointed the Governor of Uttar Pradesh. Again, with the greatest difficulty we have re-opened the case and now it is under investigation.

So, I would like to know from the hon. Minister whether it is not possible to nationalise the mill. What is stopping them from doing that? Why a particular action has been taken in regard to a particular mill...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Banerjee, this is a specific case which has nothing to do with this Bill. We are not discussing nationalisation. It is only extension of time.

SHRI S M. BANERJEE: For what?

MR. DEPUTY-SPEAKER: For nationalisation.

SHRI S. M. BANERJEE: That is what I want to say. Then, there is another mill which has been completely spoiled by a particular businessman. We want that this mill should also be taken over. A solemn assurance was given in this House and outside that it will be taken over. It has not yet been taken over.

My suggestion is that all these mills which are taken over should be nationalised. Otherwise, again, some people will convert them into junk and they will become sick mills. Is it not possible for the Government to take over, apart from sick mills, the healthy mills? The entire textile in-

[Shri S. M. Banerjee]

dustry should be nationalised. That is my slogan and the slogan of my party.

Further, some technocraft should be the head of a particular mill. The difficulty is this that it is run by an IAS officer. I do not deny their wisdom; they are genius people. But we want technocrats to run the textile mills. When come IAS officer is placed there as the administrative head, as the General Manager, it is very difficult for him to understand, whether it is medium or coarse cloth, and other problems. That is why, I suggest, a technocrat should be placed there. There should be a coordination between the National Textile Corporation and the State Textile Corporations.

With these words, I once again request the hon. Minister to reduce the time and see that all the textile mills are taken over and are nationalised. The entire textile industry should be nationalised.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support this Bill although at the nick of time this was brought and it saved the Model Mills, Nagpur, from going back to the previous owner.

I was responsible for this mill being taken over under the Industrial Development and Regulation Act. It was the first industry, in fact, in the country to be taken over. Although the Act was passed in 1951, this mill was the first to be taken over in 1959. I still remember that day when we had approached the late Prime Minister, Pandit Nehru. I was then the President of the Textile Federation and I pleaded with him to take over this mill. The idea was to hand over and run it as a cooperative venture of the workers. He had liked that idea. But, unfortunately, the authorities that be and the bureaucrats of this Government never liked the idea of workers ever running any mill. As a result, this mill was handed over, its running and management was handed over, again, to another employer nearby, an employer in the same region for running it.

All these years, these mills have been run by employers. The workers were forced to agree to a lower wage, a cut in the dearness allowance and the Acts which gave protection to workers, like, the Industrial Disputes Act and the Bombay Relations Industrial Act, etc., were suspended and the workers were made to work as slaves. This is how the so-called sick mills are being run.

What has our Government come to? Are we a Nursing-home Government? Are we a Government supposed to be baby-sitters? Are we a Government only to take over sick mills? The employers exploit the mill, suck its blood, bleed it white, don't renovate, don't plough back their money, take overdrafts, put heavy burden on it and, when the thing is reduced to a skeleton, more or less, a junk, and one fine morning they say, "We cannot manage this; this is a sick thing; you take it over". And Government comes to oblige them saying, "Now the mill is sick; we shall take it over". Then what happens? Why has this Industrial (Development & Regulation) Act not been operating properly? Then, it goes into liquidation. You take over only the management. You are not able to decide what compensation is to be paid. You cannot put in any money for development because if you do that, it will again go back in the form of assets and liabilities to the previous employer. What kind of work is this? This happens because you have not made up your mind to nationalise. So many years, are wasted; so much of valuable money and assets to run these mills remain a waste because you have not made up your mind...

MR. DEPUTY-SPEAKER: They should not lose any further time.

SHRI VASANT SATHE: I pray for that.

If someone were to tell us how much money has been spent uptill now in all these 103 mills, it will be worth knowing. Now when you take over, I am sure, you will come to this House and say, "We must pay them a good compensation; after all, we are nationalising". Is this the price that you are going to give for exploitation? This is the attitude that we are adopting. I do not know wherefrom you get your advice.

Although I congratulate the Minister for extending this, I want a commitment from him that he will bring the nationalisation Bill at least before the end of this Session—he may at least move it—so that the nation is assured that there are not going to be any second thoughts over nationalisation and that we really mean business, we really mean nationalisation. And that should be without payment of any compensation to these mills.

*SHRI E. R. KRISHNAN (Salem): Mr. Deputy-Speaker, Sir, on behalf of Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to express my views on The Industries (Development and Regulation) Amendment, Bill. While I welcome this Bill, I wish to raise one or two relevant points. The Government were aware of the need for enacting a legislation of this nature even two years before. They knew that before 17th July, 1974 such a Bill should be got passed. As is wont with this Government, only at the eleventh hour, on 29th June, 1974 the President promulgated an Ordinance in this matter. We know that this Government wake up only after the floods flow over their head.

This Industries (Developm nd Regulation) Amendme rdinance as also the Bill are indicative of the Government's vascillating industrial policy. During the period from 1959 to 31st October, 1972 the Government had taken over the management of 103 sick textile mills. Under the existing legal provisions, the Government can retain the control of management of these mills only for a period of 15 years, after which the control would revert to the owners. For 15 years the Government wil invest money and invigorate the undertakings and after that they will be handed over to the owner—this has been the policy of this Government.

In October, 1972 the Government unequivocally announced their policy of nationalisation of these 103 textile mills. On 18th July, 1959 the management of the Model Mills Nagpur Ltd., Nagpur was taken over by the Government and the period for which the management could be retained by Government was due to expire on 17th July, 1974. Though the policy of nationalisation was announced in October, 1972, yet on 26-9-74 the President promulgated an Ordinance extending the period of control by the Government by another two years. It is regrettable that the Presidential Ordinance was not for nationalising all these 103 textile mills.

Since the Government were aware of the need for such a legislation so many years, they could have enacted this Bill even during the last Budget Session. That would have avoided the issuance of Presidential Ordinance. Even at the eleventh hour if the Presidential Ordinance had dealt with the nationalisation of all these 103 textile mills, this House would have appreciated it very much.

I wou s antiate my contention that this Government have not got firm industrial policy by referring to another issue. It is reported that the Central Government might take over the 13 textile mills which had been taken over by the Tamil Nadu

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri E. R. Krishnan]

Government some three years ago. The Tamil Nadu Government have invested necessary funds and they have made these 13 sick textile mills work profitably. It would not be proper for the Central Government to think of taking over these 13 mills after the Tamil Nadu Government have done so much for their revival.

I wholehcartedly welcome the Government of India's policy of nationalisation of these 103 textile mills. I only want that it should not be confined to paper; it should be translated into reality. I would also urge upon the Government that at the time of nationalisation the Government should not come forward with any proposal to pay compensation to the owners. They have plundered these mills for over a century. If the Government come forward with such a proposal, I would like to warn that there would be violent agitation in the country.

Sir, the National Textile Corporation is in existence from 1968. The Corporation has finalised modernisation proposals only for 50 mills. I would like to know when the modernisation programme will be finalised for the remaining 53 mills also. The Government should not hesitate to give financial assistance for modernising these 53 textile mills also.

I would like to commend to this House the performance of these mills, the control of which is in the hands of the Government. They have produced standard cloth 150 per cent more than their obligation. They have also opened 240 fair price shops in rural areas and in places inhabited by weaker sections for the distribution of standard cloth. Out of 103 mills, 88 mills have made a net profit of Rs. 5.6 crores. Their export performance is also commendable. In comparison to this, the textile mills in the private sector have produced standard cloth only to the extent of 2.5 per cent though the stipulation is that they must produce 25 per cent standard cloth. Since they do not take interest in catering to the needs of common men, such private sector textile mills which do not meet their obligation in the matter of producing standard colth should be nationalised forthwith. That is the only way in which the Government can teach a lesson to the mill-owners interested in self-aggrandisement.

In reply to the discussion in Rajya Sabha, the hon. Minister of Industrial Development seemed inclined to give compensation to the millowners at the time of nationalisation. I strongly urge upon the Government that no compensation should be paid to the millowners at the time of nationalisation. Secondly, the Government must come forward, as Shri Sathe pointed out, with a Bill nationalising these 103 textile mills in this very session itself, in order to give credence to their socialist professions. Thirdly, the Government should not think of taking over the 13 textile mills which are now being managed efficiently by the Tamil Nadu Government. I would even go to the extent of saying that instead of a central organisation like the National Textile Corporation managing 103 textile mills spread over throughout the country, these mills should be handed over to the concerned State Government who are equally, if not more, responsible to the people at large.

I conclude my speech once again urging upon the Government that they must forthwith nationalise all these 103 textile mills without paying any compensation whatsoever to the owners.

SHRI B V NAIK: (Kanara) Mr. Deputy-Speaker, Sir, on going through this Report that was given by my hon. friend I find that the latest that is available is for the period 1970-71. *(Interruptions)*

I may kindly be given a certain period of time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am giving only five minutes to each Member.

SHRI B. V. NAIK: The National Textile Corporation's report available is for the period 70-71—this is the latest report. I hope the hon. Minister will bear me out that this is the latest one which is available.

The first batch of mills numbering about 57 have been taken over since 1959. The new ordinance came in October, 1972. That means the National Textile Corporation of India has given its report for the period ending 31st March which was before the new batch of 46 textile undertakings were taken over by Government. I think you raised a valid point. The rules have been laid down. But, the question is how to link up this to the question of nationalisation. Why is it necessary that one should come at the eleventh hour? If it is a question of nationalisation, the period of time during which it will be under the management of the Government will have to be extended. And at least the hon. Minister will kindly give us a clear assurance that time that he has set for it, namely, two years, will be sufficient. There are mills of fifteen years' standing; there are also mills of only two years' standing. There are at least 46 mills which are only of two years' standing May I ask a very simple question? Why for fifteen years or so we have not been able to finalise the assets and liabilities and the financial position of 57 mills which have been taken over since 1967 and what guarantee is there that in the period of time required for which this Bill will be passed, that is, within the next fortyeight months or even within the next twentyfour months, you will finalise the assets and liabilities position of these 46 mills? This is a simple rule of three. It will take perhaps two decades to finalise this. Why then do you ask for two years' time? You make a proposal to this sugust House with a patent purpose of breaking it. This is an understanding—a sort of a gentleman's understanding—and you stick to your time. You gave us to understand that you would complete it within two years' time. Then, what stepped you from doing that once you have taken over all the 103 textile mills. What prevents you from bringing in the proposal for a complete nationalisation in lieu of the constitution amendment? I have not been able to find any answer to this

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Naik, you put a very very valid point and you have to end with it.

SHRI B. V. NAIK: May I manage?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, it will be diluted.

SHRI B. V. NAIK: As far as I am concerned, I hope you will permit me some more time during amendment stage.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your five minutes' time will be over.

SHRI B. V. NAIK: I am only trying to make a general point. We have been insisting that the public sectors too should be brought in for a discussion in some form or other. This is the latest one that I got from no less a person than Shri Limaye. We are now able to discuss the functioning of the National Textile Corporation—one of the public sector undertakings. I think this came into existence three years ago.

I hope that the public undertakings will be discussed in some form or other. Therefore, what I would urge is this. Government, I think has two minds as to what is to be done about the sugar industry Then if you are thinking of the concept of a State public sector since it is not only 103 mills there are many mills taken over in Karnataka and other States and if you think the top heavy Industrial Development Ministry is enable to manage these undertakings why

[Shri B. V. Naik]

don't you give them to the State public sector.

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar): Mr. Deputy Speaker, Sir, I support this Bill. As you know the cotton textile industry is one of the oldest industry in this country and when the situation arose to take over these sick textile mills because of the mis-management of the private sector the mills were closed down and workers were thrown out and their earned wages were not paid. Therefore, Government reluctantly after a long time decided to take over these mills under this Act. It is good they have taken over. I appreciate they have declared the principle of nationalising sick mills but the nationalisation is an instrument. It is not an end. By nationalisation you would not be able to achieve the objective of higher production; reduction of grievances of the employees and other amenities to the workers and availability of cloth at a cheaper rate to the consumers. If you want to achieve these objectives you have to raise efficiency.

At present the concerned Ministry is very indifferent and inefficient in dealing with the textile mills which are taken over by the national Textile Corporation and which are running under the authorised control of the State Textile Corporations.

I want to give an example about the indifference of this Ministry to the problem of textile mills taken over by the Textile Corporation. Textile unit of Mahalaxmi Mill is taken over by the Textile Corporation. That Mill has a unit of the Art Silk Weaving. The looms in this unit remain idle because they have not taken the decision to run the artificial silk weaving looms. These looms are idle since long. The Gujarat Textile Corporation made a proposal to your Ministry that kindly permit the transfer of these looms to another company of Ahmedabad so that they can get money and pay the legitimate dues of the workers. This thing is going on for more than a year. But the Ministry has not come to any decision and the workers are not getting their earned wages of earned dues. This is the efficiency of this Ministry. If these mills are taken over and nationalised, but at the same time the efficiency is not raised, how is the problem going to be solved?

Therefore, I pointedly draw the attention of the hon. Minister so that he may immediately look into this problem which I have mentioned just now and render justice to the workers of that mill.

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA (Balasore): Sir, we have talked of taking over and nationalisation, I personally feel that it is a step towards the right direction, and Government will certainly do well by nationalising all these sick mills. But as a trade unionist, I feel that whether you take it over or you nationalise it, unless you have good management and good industrial relations, it is not a step towards an egalitarian society. We know how Mr. K. P. Tripathi who was heading one important organisation, namely this corporation, had to leave the organisation because there was no cooperation from the bureaucrats and technocrats who manned this organisation. This happened to one of the most reputed, seasoned and experienced trade unionists of this country. It may happen to any other public man who comes to head this organisation.

Unless we have management cadre to man these organisations, it is of no use. I do not like the idea of the IAS and other officers or technocrats manning these things. I would ask Government why they should not pick up important persons with public career, with a record or tradition of sacrifice and a spirit of good-will to man all these organisations or to be heads of

these organisations? We can give them training and put them under management training and train them how to organise such units on socialistic lines. If that could be done, that would definitely be a step in the good direction. Otherwise, whether we take over the mills or nationalise them, it is not going to add a feather to the cap of our hon Minister.

During this session, I must admit that Government have introduced many Bills intended to save the future economic life of our country, and our Prime Minister has done such a good job by introducing these measures one after the other, and this is the last one till today

AN HON MEMBER: Which are the other Bills?

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: We have a knack of drafting people from the private sector to public sector undertakings and to Ministries of the Government. I do not know what experience they have or what tradition they have or what past they have or what careers they have for manning the public sector? When they have been manning the private sector, how can they come to man public sector undertakings and manage them? I suggest that we must have a new look, a new vista of a wide perspective in this line, and then only we can change such things.

One hon. Member who had spoken earlier had said that there should be no compensation paid I certainly agree. We said during Gandhiji's time that there should be no compensation to the zamindars and no compensation to the princes. It is a psychological factor which is involved in all such things. Why should we compensate for taking over or nationalising all these sick mills? These persons in the private sector, these tycoons had sucked our blood and have made the country poor, in fact poorer and poorer; are we going to compensate them for all the depreciation that they have done?

MR. DEPUTY-SPEAKER: That will come when we take up the Bill for nationalisation

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: This is for taking over, although nationalisation is inherent in it So this taking over is definitely a good step

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan): Why can Government not make up their mind?

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: Government have already made up their mind as has been said already by the hon Minister. Nationalisation is inherrent

I shall conclude my speech with this suggestion that we must have a management cadre from among the public men with sacrifice, whether they belong to our party or to the Opposition, who can really head such organisations.

श्री श्रार० वी० बड़े (खरगोन): उपाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा बिल है और केवल दो साल के लिए आप समय बढ़ाना चाहते है, तो मै इसका विरोध नही करता हू। साथ ही साथ मेरा यह कहना है कि इस मौके पर आपकी नींद खुली है। 1959 में 57 सिक मिल्स आपने कब्जे में लिये थे और बाद मे आप ने 46 और लिये और अब एक मिल के लिए इतना समय आपको हाउस का लेना पड रहा है। इससे पहले आपकी नींद नही खुली थी।

इसके साथ ही साथ मुझे यह कहना है कि इन्दौर मे स्वदेशी काटन मिल्स, मालवा मिल्स और बरहमपुर के एक मिल को आप ने अपने कब्जे मे लिया हुआ है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है, उसको देखिये वह कैसा चल रहा है। वहां पर मैनेजमेंट ठीक नही चल

[श्री आर० वी० बडे]

रहा है और स्वदेशी मिल का जो प्रोडक्शन होता है, वह नवल मल पूनम चन्द, राजवन्त गाव वालो को दे दिया जाता है। अगर सभी मिलों का प्रोडक्शन इसी तरह से किसी एक पार्टी को दे दिया जाता है मैनेजमेंट अपने हाथ मे लेने के बाद भी तो इससे क्या लाभ है। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

17.00 hrs

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

कानपुर मे एक न्यू विक्टोरिया मिल है और दूसरी मयूर मिल है। न्यू विक्टोरिया मिल मे जो काम करने वाले कर्मचारी है उनको 1967 का बकाया आज तक नही दिया गया है। अगर उनको बकाया पगार नही मिलती है तो इसका नतीजा यह होता है कि उसमे अशान्ति फैलती है और काम व्यवस्थित ढग से नही हो सकता है। इससे तो उसमे यह भावना पैदा होती है कि इससे पहले वाली व्यवस्था कही ठीक थी। मयूर मिल में लोगों का ग्रेचुटी का पैसा बकाया पड़ा हुआ है वह उनको नही दिया गया है। मैनेजमेंट अपने हाथ मे लिया लेकिन इससे फर्क क्या पडा? आपको चाहिए कि आप ऐसे कार्य करे जिससे मजदूरो मे असंतोष की भावना पैदा न हो। वे सन्तुष्ट हों और दिल लगा कर काम करें।

टैक्सटाइल कारपोरेशन और एस टी सी ही अब इस वक्त इस काम को करती है। उनकी आपस मे रस्साकशी चलती रहती है। इससे जो काम है वह सफर करता है। इसके बजाय क्यों नही आप जायंट मैनजमेंट काउंसिल बनाते है सभी सिक मिल्ज के लिए जिसमे मजदूरो का भी कुछ हिस्सा रहे। ऐसा अगर आपने किया तो अच्छे नतीजे निकलने की आशा आप कर सकते है।

आडिटिंग भी ठीक से नही होता है। देशी मिल के अन्दर जिसको आपने अपने हाथ मे लिया है आडिटिंग ठीक नहीं होता है। यह राष्ट्रीयकरण नहीं, सरकारीकरण ही ऐसी अवस्था में हुआ। ऐसे लोगों को, आई ए एस लोगो को आप वहां भेज देते है जिनको इस लाइन का कोई अनुभव नही होता है। साल भर का जो बैलेंस शीट निकलता है उसको वे लोग अपने पास ही रख लेते है, लोगो को बताते नही है। लोगो को पता चलना चाहिए कि उसमे नुक्सान हो रहा है या लाभ, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है। इन्दौर मे तथा दूसरी जगहो पर मिलो मे काम करने वाले कहते है कि इस वक्त तो काटन के भाव ऊपर चढ रहे है और इनको लाभ हो रहा है लेकिन जब व कभी नीचे गिरने शुरू हुए तो घाटा हो जायेगा और ये सब भाग जायेंगे। काटन के भाव बढने की वजह से ही ये फायदे में चल रहे है। इस वास्ते आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि विपरीत परिस्थितिया अगर आ जाये तो भी ये नफा कमाती रहे।

आप ने दो साल के लिए इस अवधि को बढाया है। इस बीच अगर राष्ट्रीयकरण हो जाये तो कोई हर्ज नही है। नागपुर की मिल के बारे मे आप डिफिकल्टी मे है ऐसा आप ने कहा है। लेकिन इन दो सालो मे भी अगर आप राष्ट्रीयकरण कर दे और अब आगे सोने न रहा तो देर आयद दुरुस्त आयद की कहावत ही चरितार्थ होगी और आपको धन्यवाद दिया जायेगा। इतना कह कर मैं इसको सपोर्ट करता हू।

SHRI K SURYANARAYANA (Eluru): Mr Chairman, Sir, while supporting this Bill, I would like to know from the Government, before they take over all these 103 sick textile mills, what are the dues to the labourers Sir, Government is doing this on the pretext, to save labour and to maintain industries in a proper way in the interest of the country Why should not they take over other industries also? When there is a lacuna and when—whatever my

friend from Tamil Nadu may say—there are no sufficient funds with the State Governments, why should they not take over other industries also, in the interest of the people? I would like to give one instance. I do not want to divert from this subject of textile industry to sugar industry. But, there is one mill in my constituency, called the Sivakami Mills. This was being managed by a mill owner from Madurai. He comes from Madurai; he is a crorepati. He has knocked away all the money. During the last two or three years, this mill has not been working. This is a very small mill. Sir, they owe nearly Rs. 10 to Rs. 15 lakhs to the farmers and Rs. 5 lakhs to the workers. Why is the Government hesitating? They have sold away their sugar. It seems, Government is only interested in getting their excise duties. I would like to know, in what way, they have the interest of the textile labour? Sir, the other day, we passed the Land Reforms Act. Why don't you come forward with such measures, extending this pattern to other industries? You are denying the poor man's money. Sir, we all agree that 80 per cent of our people are agricultural labourers. Agricultural labourer is the main producer. Here, I would like to refer to what Mr. Rajagopalachari did when he was Chief Minister of Madras. He brought forward the Debt Relief Bill. This was brought forward mainly to benefit the small debtors and small labourers. Under the provisions of this Bill, if a person has paid interest which exceeds the principal amount, there is no necessity for him to repay the amount.

Sir, my submission is, we should nationalise all industries. Otherwise, people will not have any confidence in the Government. We are passing so many laws. Sir, we are still having confidence in the Government, led by Shrimati Indira Gandhi; people have faith in the principles of socialism, 'Garibi Hatao' etc. Don't try to deceive the people.

We should resort to nationalisation, at least so far as these sick mills are concerned. Let us take the case of sugar mills in UP. They have no money. You have taken this step, which is not in the interest of the country, in my opinion, not in the interest of the grower and not in the interest of the labour. Sir, I would appeal to the hon. Deputy Minister, and through him, to the Government and my party, particularly. Nationalisation is the only way. There is no necessity to pay compensation, over and above their investments after paying dividend etc.

Sir, we have abolished managing agency. But, managing agency system exists in some other form. Outside persons and other relatives are being taken in the name of administrative agents etc. They have so many ways to evade the law. These persons exist only in books. We should take steps to see that such malpractices are put an end to.

Sir, if we want that our country should develop industrially and that our people should be satisfied, then, we should take care of the interests of consumers, producers and labourers who are the three proprietors of the industrial sector. We should nationalise all the industries. Then only, we will be able to satisfy the people. There is no necessity to wait.

SHRI CHAPALENDU BHATTACHARYYA (Giridih): Sir, it is agreed and I think the minister said as much, that the extension of time for this take-over is a prelude to nationalisation. This point has been raised before and I underline it again that unless you nationalise these sick mills, you cannot really re-equip them with uptodate machinery and make the necessary impact on textile production, export potential and satisfying our internal demands. If you are saddled with these 103 sick mills, they will be 103 white elephants round the neck of the National Textile Corporation and the State

[Shri Chapalendu Bhattacharyya]

corporations. You know how inspectors were induced to declare going sick mills as junk and they were sold as scrap and a large profit was made. That is past history The point is, nationalisation would be a broken reed unless you solve the problem of the influence of the private sector upon the public sector textile mills. The problem is ever present and is a devious one. They will try to ensure that these taken-over sick mills always remain sick, till the people get sick of taking over private sector mills.

For developing an attack on high prices, we have to think of a uniform policy about prices of textile cloth all over India. Similarly the sectoral imbalances and variations of wage scales and prices in Textile Industry have fuelled the inflationary pressure in India. We must moderate it. High price of cloth in its turn has affected the peasants and resulted in demand for higher prices of food, because at one point cloth became very important in people's budget. Now food is the very important element in the working class budget. Although this Bill seems very simple, it cuts very deep. When we are going to extend the time, we have to consider all these factors and make these 103 textile mills a launching pad by which you can reverse the present situation of high prices for the better, so far as textiles and cloth is concerned.

श्री घनश्याह प्रधान (शहडोल) : सभापति महोदय, इस विधेयक में जो समय मांगा जा रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं। यह जो उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाला विधेयक है इसमें बड़े व्यापार गृहों के जो अधिकार हैं उनका विस्तार रोकने की व्यवस्था नहीं है। देश में कपड़ा मिलों के मालिक और उद्योगपति मनमाने ढंग से मजदूरों को पगार इत्यादि दे रहे हैं। निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन करके जो कि और जगह भेजना चाहिए वह न करके उसे अलग छिपा कर रख हुए हैं। ये लोग करों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़े हुए उत्पादन को कम दिखा कर के देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं जिससे ये चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वे उद्योगपति काले धन को एकत्रित कर रहे हैं। उनके उत्पादन और बिक्री के मूल्य में काफी अन्तर है। इसलिए जब तक इस उद्योग पर पूरा नियंत्रण नहीं किया जाता तब तक इसका कोई हल नहीं निकल सकता। राष्ट्रीयकरण की जो बात हो रही है वह ठीक है लेकिन सरकार को यह निदेश देना चाहिए कि अन्य प्रकार का विस्तार नहीं होगा। आज देश में 1 हजार किस्म के कपड़े तैयार होते हैं जिसमें कि आम जनता तक मोटा कपड़ा नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार इसका ध्यान रखे कि राष्ट्रीयकरण के बाद जिस तरह से देश में कोयला, गेहूं और अन्य प्रकार की सामग्री बाजार से गायब है उसी तरह से कपड़ा भी बाजार से गायब न हो जाय। अभी तो कुछ मिल रहा है, इसके बाद वह भी न गायब हो जाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्पादन और अर्थ-व्यवस्था जो हमारी है उसको ठप करने के लिए ये लोग प्रयत्नशील हैं और वे इस काम को बन्द करना चाहते हैं। आज कितने ही प्रकार के कपड़े विदेशों में भेजे जाते हैं और वह आम जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये जो कपड़ा मिलें हैं, सरकार की तरफ से उनका लाइसेंस छोटे स्तर पर अन्य लोगों को भी इसके बीच में दिया जाय। दूसरी बात यह है कि मजदूरों का बोनस और उनकी अन्य सहायता इन कपड़ा मिलों के मालिक नहीं देना चाहते। उससे अपने को बचाने के लिए उन्होंने यह सारी चीजें छिपा कर रखी हुई हैं। इसलिए मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी वह इन कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करे।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, मैं आज सरकार को चुनौती दे रहा हूं इस बात की कि मुझ विश्वास नहीं है कि इन 103 मिलों का आप राष्ट्रीयकरण करेंगे। यह मैं आज कह देना चाहता हूं। मुझे इसमें डर नहीं लगता है। जो काम 15 साल में नहीं हो सका वह आप दो साल में कैसे कर सकेंगे? एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि आप ने एसेट्स और लायबिलिटीज किस-किस मिल की जांच ली? मुझे मेहरबानी करके बताइए कि किस कोर्ट के इजक्शन के कारण आप ने एसेट्स और लायबिलिटीज की जांच नहीं की? पन्द्रह सालों में कौन सी मिलों की एसेट्स और लायबिलिटीज की आप ने जांच कर ली है और उसको लेने के लिए आप तैयार है तो कितना देना पड़ेगा आप को? मुझे यह नहीं मालूम पड़ रहा है कि 103 मिलों का आप दो साल के बाद या दो साल में राष्ट्रीयकरण कर लेंगे या इसमें भी बापस चले जायेंगे? तो कम से कम यह तो घोषणा कर दीजिए कि हम इन का राष्ट्रीयकरण करेंगे। पन्द्रह सालों के दरमियान क्यों नहीं कर सके इसका कारण बताइए। कौन सी कोर्ट ने कितनी मिलों के लिए इजक्शन दिया है? दूसरे, एसेट्स और लायबिलिटीज जांचने के लिए कौन सी मशीनरी आप के पास है? कैसे उसकी गवर्नमेंट वेरिफाई करती है और कितना रुपया आप को देना होगा? कैसे आप जांच सकेंगे? क्या गवर्नमेंट कम्पेनसेशन देगी और देगी तो किस आधार पर देगी? उसका मनेजमेंट जब आप ने लिया था किस मिल्स का तो उस समय कोई काट्रेक्ट या ऐग्रीमेंट किया था या नहीं? उस ऐग्रीमेंट में यह शर्त्त थी कि हम पन्द्रह साल में लौटायेंगे या नहीं लौटायेंगे? उस शर्त को आप छोड़ देंगे या वह शर्त अभी भी रहेगी। अगर कोई ऐसी शर्त एग्रीमेन्ट में लिखी है तो उस शर्त के लिये क्या करेंगे? क्या उस शर्त को गलत ठहरायेंगे या उनको कम्पेन्सेशन देंगे, यदि देंगे तो किस आधार पर देंगे और 15 सालों में कितना दे देंगे—ये बातें मुझे समझाइये।

एसेट्स और लायबिलिटीज की जांच की है या नहीं? किन-किन कोर्ट्स ने उनके खिलाफ़ इजक्शन दिया है . . .

श्री एस० एम० बनर्जी : कुछ नहीं देंगे।

श्री मूल चंद डागा : यह बात नहीं चलेगी।

जिन स्टेट्स में ये मिलें लगी हुई हैं, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उन स्टेट्स को इनका काम सौंपिये। यह काम सैन्टर का नहीं है कि हर छोटी छोटी मिल को अपने हाथ में ले। जिन जिन स्टेट्स में है उन स्टेट्स को इनकी व्यवस्था देनी चाहिए ताकि वे स्टेट्स खुद उनकी व्यवस्था कर सकें।

SHRI NATWARLAL PATEL (Mehsana): Mr. Chairman, Sir, I am very happy for getting an opportunity to speak at this stage. I support the Bill.

I am very happy that the hon. Members from this side, majority of them, have also supported the Bill.

After taking over 103 mills, I understand, the Government of India has taken a very bold step in the interest of labourers of this country According to me, the step of the Government is absolutely labour-oriented step. What was the position of labourers before all these mills were taken over? After taking over of the 103 mills, the management of these units is absolutely satisfactory. Not only that The labourers, the workers, working in these units are also satisfied as they are getting their salaries regularly; they are getting bonus and other things regularly. There is no threat before them that they will be deprived of their jobs in future.

I understand, the Government is very keen to nationalise all these

[Shri Natwarlal Patel]

mills. I would like to urge upon the hon. Members, specially, on this side that this nationalisation problem cannot be solved overnight. There are a lot of difficulties in the way of the Government. After all, when the Government has to nationalise the units, it will be a matter of assessment, machinery and other things. There are some other financial problems also. All the units must be nationalised as early as possible. This Bill has been brought before the House at the most right time. Otherwise, this would have created a lot of difficulties in the way of the Government.

One thing more. So far as some people in this country are concerned, they are every day creating a climate of take-over, take-over, nothing else. So far as textile industry is concerned, one should not say like that. According to me, the Government is determined to take over almost all the textile units in the country. This is the policy of the Government, according to me. But it is not very easy to nationalise everything. It is very easy to nationalise something but, after taking it over, it is very difficult to manage it. So, it is not very easy to nationalise all the textile units in the country at one time. I know, some hon. Members on this side insist on taking over something but, after take-over, they will say that we are unable to manage it. They speak both-ways at a time. Therefore, I would urge upon the Government and the hon. Minister to be very alert about such people. After nationalisation, they criticise the Government Sc, you must nationalise it when you want it in the interest of the workers, in the interest of the country, without any delay.

श्री बृकम चन्द कछवाय (मुरैना) : सभापति जी, सरकार ने जिन 300 से ऊपर मिलों को अपने हाथ में लिया है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। चूंकि इन मिलों की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही थी, इस लिये आप ने इनको अपने हाथ में लिया है—मैं इस कदम का समर्थन करता हूं। लेकिन आज उनकी व्यवस्था ठीक हो गई है—ऐसी बात नहीं है। जो मिल मालिक प्राविडेन्ट का पैसा जमा नही कराता है, उसके लिये आप ने सजा का कानून रखा है, लेकिन इन मिलों पर वह कानन लागू नही हो रहा है। आपकी कन्ट्रोल्ड मिलों के प्रबन्धक पैसा जमा नही करा रहे हैं। वे प्राविडन्ट फण्ड का पैसा जमा न करायें, मजदूरों को वेतन न दें, बोनस न दें, उनके लिये कोई कानून नही है। इस लिये मैं चाहता हूं कि जो कानन प्राइवेट मिल मालिकों पर लागू है, वही कानन इन मिलों के प्रबन्धकों पर भी लागू होना चाहिए।

आपको आश्चर्य होगा—मध्य प्रदेश के राजनंदगांव में एक कपडा मिल है। वहां के न्यायालय ने फैसला दिया कि किसी भी प्रकार के केस को वहां के मजदूर चेलेन्ज नहीं कर सकते, उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही करनी हो तो उस मामले को लेकर न्यायालय में नही जा सकते। वहां का कन्ट्रोलर किसी को निकाल सकता है, किसी को रख सकता है, तनख्वाह दे या न दे, बोनस दे या न दे, प्राविडेन्ट फण्ड जमा कराये या न कराये—उन पर कोई कानून लाग् नही होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इन मिलों को ले रहे हैं—मैंने इसका स्वागत किया है—लेकिन इसके साथ जरूरी है कि वहां के प्रबन्ध को ठीक किया जाय।

इन मिलों में जो कपड़ा बनता है, जहां तक उसके बेचने का सवाल है, ऐसे लोगों के हाथ में यह काम दिया हुआ जिनको उसका कोई ज्ञान नही है जिसकी वजह से इन मिलों में घाटा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वहां पर व्यापारियों, कर्मचारियों और प्रबन्धकों की एक समिति बनाई जाय जो मिल-जुल कर इस काम को करें। मजदूरों को मिल के मुनाफे में हिस्सा दीजिये, यदि यह लालच

मजदूरों को दी जायेगी तो मुझे विश्वास है कि हमारे मजदूर अधिक मेहनत से काम करेंगे। लेकिन आज जितनी मिलें आपने ली हैं उनमें से अधिकांश घाटे में चल रही हैं। प्राइवेट मिल वालो के मुकाबले ये मिले कम मुनाफ़ा कमा रही है। काफी मिलों ने मजदूरों को बोनस नही दिया है जिसके लिये उन्हें आन्दोलन करना पडा है, केस लडना पडा है। मैं चाहता हूं कि आप जो भी कानून अपने यहां बनाते है, प्राइवेट मिलो पर लागू करते हैं, उनको इन मिलों पर भी लागू कीजिये। बहुत सी मिलो मे मजदूरो की छटनी की जा रही है। एक तरफ तो आप कहते है कि हम रोज़गार दिलवायेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो मिले आप के हाथ मे हैं उनमे छटनी करवा रहे हैं। इस लिये मेरा निवेदन है कि आप इनके प्रबन्ध को सुधारिये जिससे मुनाफे में मजदूरों को भी हिस्सा मिले, उन्हे बोनस मिले, उनका प्राविडेन्ट फण्ड का पैसा समय पर जमा हो। वे सभी कानून जो प्राइवेट मिलों पर लागू है, उन पर भी लागू हों।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : सभापति जी,...

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, इसके पहले कि मन्त्री जी अपनी तकरीर करें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—यह बिल मैनेजमेंट के सम्बन्ध में है, मिलों के मैनेजमेंट के बारे मे जो मुद्दे उठाये गये है क्या मन्त्री जी उनका जवाब नही देंगे—वे 15-17 साल के बारे मे बहस करेंगे .

MR. CHAIRMAN: Let him reply. Then I shall see whether he misses any point.

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : सभापति जी, केवल इसके कि मैं इस बहस के जवाब में कुछ अर्ज करूं मैं माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हम जो बिल लाये हैं कम से कम उसका जो बुनियादी मकसद है, उससे बगैर किसी इस्तस्ना के सारे माननीय सदस्यो ने इत्तिफाक किया है और वे बुनियादी मकसद है—इन 103 टेक्सटाइल मिलों का नेशनलाइजेशन करना। यह सही है कि इस बहस मे कुछ मैनेजमेंट के मुताल्लिक, कुछ उन खराबियों की तरफ इशारा किया गया है, उनमे कुछ इम्प्रवमेंट के सुझाव किये गये हैं ये सब बाते सही है। लेकिन इस बिल को लाने का जो बेबुनियादी मकसद है उसमे इस हाउस के तमाम आनरेबिल मैम्बर्स ने इत्तिफाक किया है।

बहस के दौरान जो मसाएल उठाये गये हैं वे दो तरह के है—एक तो इस किस्म के मसाएल है जिनकी तरफ इशारा किया गया है, जिनका ताल्लुक इस बिल के महदूद दायरे से है और कुछ वे मसायल है जिनका ताल्लुक इस बिल के महदूद दायरे से बाहर है। कुछ माननीय सदस्यों ने नेशनलाइजेशन की क्या जनरल पालिसी हमारी होनी चाहिये, किन किन इण्डस्ट्रीज को नेशनलाइज करना चाहिये, जैसे टैक्सटाइल है, शुगर इण्डस्ट्री है—इसकी तरफ तवज्जह दिलाई है। चेयरमैन साहब, मै इस दायरे के अन्दर सीमित रह कर अपनी बात कहना चाहता हूं।

जब हम इस दायरे मे सीमित होकर इस बात को कहते हैं तो एक बहुत रेलेवेण्ट बात यहां पर कही गई है, कई मेम्बरों ने कहा और मि० डागा ने बडी तशवीश का इजहार किया, एक तरह से उन्होंने चुनौती दी कि यह 103 मिलों का नेशनलाइज नहीं कर सकेंगे, उसका सबूत यह दिया कि 14 साल मे नही कर पाये तो 2 साल मे क्या कर पायेंगे। मै बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि 1969 से 1972 तक हमने कुछ टैक्सटाइल मिल्स, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड रैग्युलेशन एक्ट के तहत लिए 1972

[श्री जियाउर्रहमान अन्सारी]

से हमने 46 सिक-मिल्स आर्डिनेन्स के तहत लिए । जिस वक्त हमने इन मिल्स के ऊपर कण्ट्रोल किया था उस वक्त हमारी या डेवलेपमेंट पालिसी थी कि अल्टिमेटली इनको हमें नेशनलाइज करना है । आर्डिनेन्स के जरिए से उनको लिया गया था और उस पर एक बिल आया जिस पर यहां डिस्कशन हुआ । इस दौरान फरवरी–मार्च, 1973 में उस वक्त यह सबजेक्ट मिनिस्ट्री आफ फारेन ट्रेड के पास था । जो टैक्सटाइल मिलें ली गई थीं उनको वह मिनिस्ट्री देख रही थी और कोशिश कर रही थी कि इस पीरियड में उनके नेशनलाइजेशन काजो प्रोसेस है उसको पूरा करे । फरवरी-मार्च, 1973 में नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन, जिसकी तहत सारी मिल्स थी मिनिस्ट्री आफ इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट को ट्रान्सफर कर दिया गया । मिनिस्ट्री आफ इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट को जिस वक्त फरवरी मार्च, 1973 में ट्रासफर हुआ उसी वक्त से इस तरफ कदम बढ़ाया गया कि नेशनलाइजेशन का जो हमारा कमिटमेंट है, जो हम तय कर चुके हैं उसको करने के लिए हमको एकदम उठाने चाहिए । आप जानते हैं किसी भी इण्डस्ट्री को नेशनलाइज करने का प्रोसेज है उसके असेट्स और लायबिलिटीज को असेस करना और उसमें कुछ समय लगता है, खुसूसियत के साथ उस वक्त जब जिन मिल्स को हम नेशनलाइज करना चाहते हैं, जिनका हमने कण्ट्रोल लिया है उनके लिए अदालतों से स्टे-आर्डर हो जाये । इन मिलों में से 6 मिलों में स्टे-आर्डर मिला—3 को सुप्रीम कोर्ट से और 3 को मुख्तलिफ हाईकोर्टस से—2 को अलाहाबाद हाईकोर्ट से और 1 को गुजरात हाईकोर्ट से ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan): Were those stay orders obtained before or after the amendment of the Constitution which have wide powers to take over?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं अर्ज कर रहा हूं । यह स्टे-आर्डर्स मिले हैं मिल्स को 1972 में । 6 मिल्स को मिले स्टे-आर्डर । जिन मिल्स के सिक मिले में स्टे-आर्डर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट से हो गया उन मिल्स के के असेट्स और लायबिलिटीज को असेस करने के लिए जब तक कोर्ट से पर्मीशन न मिल जाये, हम उनके असेट्स और लायबिलिटीज को असेस करने के लिए प्रोसीड नहीं कर सकेंगे । इन सारी चीजों में हमने कोर्ट्स से पर्मीशन ली और इस सारी कार्यवाही में वक्त लगा । जैसा मैंने शुरु में कहा इसी बीच में एक मखसूस मिल थी नागपुर की जिसका वक्त बिल्कुल खात्मे के करीब आ गया था । अगर उस मिल के वक्त के खात्मे की बात न होती तो शायद हम असेट्स और लायबलिटीज को असेस करके नेशनलाईजेशन का बिल ही सीधे सीधे इस हाउस में लाते, आर्डिनेन्स लाने की कोई जरुरत ही नहीं होती । हम उम्मीद करते थे असेट्स और लायबिलिटीज ठीक समय पर असेस कर लेंगे । एक हमारे आनरेबिल मेम्बर ने यह भी कहा कि आर्डिनेंस ही लाना था तो नेशनलाईजेशन का आर्डिनेंस क्यों नहीं लाये । नेशनलाईजेशन का आर्डिनेन्स हम सीधे सीधे इस लिए नहीं ला सके क्योंकि उस वक्त तक असेट्स और लायबिलिटीज, सारी की सारी 103 मिलों की असेस नहीं हो पाई थीं । (व्यवधान) तो इसकी वजह से हम को यह आर्डिनेन्स लाना पड़ा और एहतियात के तौर पर हमने दो साल की मुद्दत की तौसीय इसमें चाही है ताकि कोई दिक्कत पेश न आये । वरना जिन आनरेबिल मेम्बर्स के दिल में कुछ शुबहा हुआ है, उनकी शदीद ख्वाहिश है कि जो काम अच्छाई का होना है, जो नेकी का काम होना है उसमें जल्दी होनी चाहिए, उसमें देर नहीं लगनी चाहिए तो उनकी यह नेक ख्वाहिश है कि नेशनलाइजेशन जो सरकार तय कर चुकी है उस काम को जल्दी करना चाहिए, उसमें देर नहीं होनी चाहिए मैं उनकी इत्तला

के लिए, खास तौर से हमारे एस० एम० बनर्जी साहब जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे उनके जिस्मों को गगा तकसीम करनी है, हमारे उनके दिल को गगा तकसीम नही करती है, मै उनको खुसूसियत के साथ और दूसरे आनरेबिल मम्बर्स को खुसूसियत के साथ इत्मीनान दिलाना चाहता हू कि सारी मिलों की पर्मीशन, इन 6 मिलों की भी पर्मीशन सीक करने के बाद सारी 103 मिलों की असेटस और लायबिलिटीज असेस हो चुकी है, और आनरेबिल मिनिस्टर इडस्ट्रियल डेवल्पमेंट ने इसी सेशन मे, पार्लमेन्ट के इसी करेन्ट सेशन मे नेशनलाईजेशन का बिल इन्ट्रोडयूस करने का नोटिस दे दिया है। इसी सेशन मे वह नेशनलाईजेशन का बिल पेश हो जायेगा। यह बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हू। यह एक अच्छी खबर मैं आपको देना चाहता हू जिसके लिए तमाम लोगो को शको शुबहा था कि 15 साल मे वह नही हुआ और सही बात है, अपनी जगह पर वह शुबहा सही हो सकता है, मुनासिब हो सकता है क्योंकि एक दर्दनाक इनसान कोई अच्छा काम होते हुए देखना चाहता है, वह चाहता है जो काम 15 साल से नही हुआ अभी भी हो तो जल्दी हो। तो मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हू कि इसी सेशन में, करेन्ट सेशन में 103 टेक्सटाइल मिलों के नेशनलाईजेशन का बिल पेश करने का नोटिस दिया जा चुका है और वह बिल पेश होगा।

जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, इस बहस में बहुत सी बाते जो नेशनलाइजेशन के प्रोसेस के बाद होनी हैं वह आई। जिस वक्त हम नेशनलाईजेशन का बिल तय करेंगे उस वक्त मुनासिब मौका होगा कि आनरेबिल मेम्बर्स डिसीजन लें कि कम्पेन्सेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए या देना चाहिए तो कितना देना चाहिए? नेशनलाईजेशन के बाद मैनेजमेन्ट का क्या स्ट्रेक्चर हो, लबर का क्या रोल हो नेशनाईज्ड मिल्स में इन सारी बातों के लिए मुनासिब मौका वह होगा जिस वक्त नेशनलाईजेशन के बिल पर बहस करेंगे। तफसील के साथ उसी वक्त इन सारी बातों पर बहस करनी चाहिए। इस मौके पर आनरेबिल मेम्बर्स ने जिन ख्यालात का इजहार किया है उनसे यकीनन सरकार को फायदा होगा। सरकार जिस वक्त नेशनलाईजेशन का बिल लायेगी आनरेबिल मेम्बर्स के इन ख्यालात का फायदा उठायेगी और फायदा उठाकर इस सदन की अभिलाषाओं, आशाओं और अपेक्षाओं का पूरा आदर करते हुए उस बिल को लायेगी।

इन अल्फाज के साथ मे फिर सदन से अपील करता हू कि इस बिल को कंसीडर करे।

श्री मधु लिमये (बांका) अध्यक्ष, महोदय, मेरा यहा बोलना एक माने मे बेकार रहा और एक माने मे सार्थक हो गया सार्थक रहा इस माने मे कि कम से कम सभा को आश्वासन मिला कि यह विधेयक आयेगा। इसमे पेश होगा और शायद अगले सत्र मे पास हो जायेगा अभी समय नही है पास होने के लिये लेकिन मत्री महोदय से कहना चाहता हू कि बिल के ड्राफ्टसमेनशिप के बारे मे उन को सचेत रहना चाहिये क्योंकि आज कल मैं देख रहा हूं कि ऐसा स्लिपशौड काम होता है कि कुछ दिनो के अन्दर संशोधन ले कर आना पड़ता है। कोल बिल का क्या हुआ? मजदूरों के अधिकारों के रक्षण करने का काम भी इन्होने नही किया।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: When we had moved the amendments they were rejected but the same amendments were brought by the Government again.

श्री मधु लिमये: यही मैं कह रहा हूं उस समय जल्दबाजी में काम किया जाता है, स्वर्गीय मोहन कुमारमंगलम साहब जैसे विख्यात वकीलों के नेतृत्व में जब इस तरह के बिल आते हैं तो माननीय सुब्रह्मण्यम

[श्री मधु लिमये]

और पाई साहब की क्या बात करूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ड्राफ्टसमैनशिप के सभी पहलुओं पर विचार की जिये और इस बिल को कमेटी को भेजिय। अनुभव यह है कि जौइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मे सभी पहलुओं पर विचार होता है और जो बिल निकलते है वह खराब नही होते है बल्कि अच्छे ही निकलते हैं।

अब मैंने जो कहा मेरा एक माने मे बोलना बेकार हुआ क्योंकि इनजाम के बारे में मैं बोल रहा हू और वह कहते है कि सीमित मकसद मे नही आता है। कैसे नही आता है? मैनेजमेंट दो साल के लिये आपने ले लिया। लेकिन वह शायद जवाब नही देना चाहते। न दीजिये लेकिन मैं कहना चाहता हू कि आप नेशनलाइज करने के बाद इसी ढग से इन मिलो को चलायेंगे तो उस मे बहुत देश का फायदा नही होगा। बुनियादी परिवर्तन करना होगा।

बार बार कहा गया कि मिल्स। यह शब्द सुनते सुनते मैं सिक हो गया। सिक मिल्स किस कहते है, मिले सिक कैसे होती है? चूंकि सरकार बीमार है इसलिए इस सरकार के राज्य मे मिले और कम्पनिया भी बीमार हो जाती है। ऐलकाक और ऐशडाउन वाला बिल आने वाला है। क्या यह कम्पनी सिक थी? 1965 मे उस कम्पनी को मुनाफा हो रहा था, शेयर बाजार मे इन शेयर्स के दाम बहुत बढ गय थे। लेकिन मुधडा आया

सभापति महोदय उस वक्त बोलियेगा।

श्री मधु लिमये . मैं इस बात पर बहुत जोर देना चाहता हू कि आप बीमारी फैलाते है और जब मिल बीमार हो जाती है तो बहुत दिनो के बाद इन को नींद खुलती है और मिलो को लिया जाता है। आप का कम्पनी एक्ट किसलिये है? सभापति जी, आप कई जौइंट कमटीज में काम कर चुके हैं, क्या कम्पनी कानुन के तहत अधिकार सरकार को नही है? अगर किसी कम्पनी का मिसमैनेजमेंट हो रहा है चोरी हो रही है डीफ्राड किया जा रहा है तो मेरा ख्याल है धारा 257 (बी) के तहत आप को जाच करने का, इन्वेस्टीगेशन का अधिकार है। लेकिन उस समय नही करते। अगर समय पर किसी भी बीमारी का इलाज किया जायेगा या प्रीवेंटिव स्टैप्स लिये जायेंगे तो बीमारी होगी ही नही जब भविष्य मे इस तरह का आदेश आयेगा

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinki) You can only take over sick mills

श्री मधु लिमये . मिल कैसे होता है? मै तो प्रीवेंटिव दवा वाली बात कर रहा हू। हमेशा मिल सिक नही होती है। कपाडिया के मनेजमेंट मे कोहनूर मिल सिक होने वाली है। 103 मिलो का आप इतिहास ले लीजिय आप को पता चलेगा कि यह मिले शुरु मे सिक नही थी, मुनाफे मे चल रही थी। उनमे से मलाई निकालने का काम मनेजमेंट ने किया है और उसी की वजह से यह सिक हुई है। इसलिये मुझे सिक मिल्स की परिभाषा अच्छी नही लगती। आप के पास सारे कम्पनी एक्ट मे अधिकार हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नही करते। मैं सिकनस पर बोल रहा हू। सिकनेस कहा है? सरकार और मत्रियो मे है। नेशनल रेयान कौरपोरेशन है विगत साल दो सरकारी डायरेक्टर्स थे कुछ पैसा खाकर आप ने एन. आर. सी.को लोटा दिया कापडिया को गोखले साहब कभी जवाब नही देने। आप लोग इतने बेशर्म बेहया और निर्लज्ज हो गये है कि कोई असर नही होता। अब एन. आर. सी. के बारे मे आप सिकनेस ले आयेंगे। कपाडिया के बारे मे हाई कोर्ट ने कहा था डाउटफुल ऐटीमीडेंटस हैं। तो एन. आर. सी. सिक हो सकती है, कोहनूर टैक्सटाइल मिल सिक हो सकती है। आप मिल्स और कम्पनियों को सिक बनाने का सिलसिला

चला रहे हैं। मैं अध्यादेश का विरोध कर रहा हूं, बिल का नहीं, और वह इसलिए कि विगत सत्र में इस विधेयक को लाना चाहिये था। दो साल के बजाय चार साल रखते, मुझे विरोध नहीं होता। सिकनेस क्यों पैदा होती है, कौरपोरेट सैक्टर में इस का मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया। और इसलिये अंत में मैं कहना चाहता हूं कि कम्पनी कानून के तहत तो आप को अधिकार दिये गये हैं उन का उचित इस्तेमाल, उचित समय पर आप कीजिये तो आप पर सिक मिल लेने की नौबत ही नहीं आयेगी।

MR. CHAIRMAN: The questions is:

"This House disapproves of the Industries (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 1974 (Ordinance No. 6 of 1974) promulgated by the President on the 29th June, 1974."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up the clause-by clause consideration.

Clause 2

MR. CHAIRMAN: There is an amendment to clause 2. Is Shri B. V. Naik moving his amendment to this clause?

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI: I do not think there is any necessity, because the assessment has already been done.

SHRI B. V. NAIK: The hon. Minister is asking me a question, I think. I shall not move it provided he answers my queries.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member should make up his mind. In view of the reply that the hon Minister has just given, is the hon. Member moving his amendment? For, that stage may not come at all since he is going to move for nationalisation right in this session. I think it is because of some apprehension that he has tabled his amendment, but I think he need not be afraid on that score.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): His Majesty's amendments are always to be withdrawn!

SHRI B. V. NAIK: I beg to move:

Page 1, line 9,—

for "twelve years" *substitute*—

"twelve years or till the completion of assessment of assets and liabilities whichever is later" (1)

As you were good enough to point out, this amendment may not be of any consequence, since as the hon. Minister has said it has been decided to nationalise these in the course of this year I presume naturally the assessment is confined mainly to the payment of compensation or amount as defined in the Constitution. Government are anxious to evaluate the assets and liabilities naturally with the intention to arrive at the correct amount as they have done for instance in the case of coal, coking coal etc.

So if that is the problem, that would be the only reason why you have come forward with a request for extension, if you are going to pay a nominal amount of Re. 1 and if at the end of the payment of a nominal amount of Re. 1, the total amount of assets minus the total amount of liabilities was going to land you in a corporate dead loss in all these 103 mills, then you have to think twice because you are going to commit Parliament and the Government if you are taking a net worth which is nega-

[Shri B. V. Naik]

tive. With due deference to many of us who are anxious for nationalisation, let me say that nationalisation is not an end in itself. If it is an end in itself, we are living in a fool's paradise. The essence of any public sector undertaking or nationalised unit is management. Will the hon. Minister tell in the last 15 years starting with Modern Mills which is in the hon. Chairman's home town, from 1959 till now, what was in essence the difference between a nationalised undertaking and an undertaking which we had taken over? Your management was there.

SHRI S. M. BANERJEE: Why don't you put a starred question?

MR. CHAIRMAN: Please confine yourself to your amendment and not go into the wider question of the policy of nationalisation. That we will discuss when the Bill comes Your amendment says '12 year or till the completion of the assessment of assets and liabilities whichever is later'. You were not present when he was replying. He said that the assessment in relation to all the 103 mills is complete and that is why they are ready with the Bill relating to nationalisation. So even that point you want to raise will not arise. You need not speak on general policy.

SHRI B. V. NAIK: This amendment becomes redundant in case it is going to be nationalisation.

MR. CHAIRMAN: He has said it. They are bringing the Bill in this very session.

SHRI B. V. NAIK: I am quite sure you have also gone through the statement of objects and reasons in which they have stated that eventually....

MR. CHAIRMAN: That eventuality is very near in this session itself.

SHRI B. V. NAIK: If you are going to say that you are going to nationalise them and the assessment of assets and liabilities is all complete....

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI: I have already said it.

SHRI S. M. BANERJEE: On a clarification. He said it is stated in the statement of objects and reasons and so on. In our copy it is not there. Our copy says 'As passed by the Rajya Sabha'. There is no statement of objects and reasons in this.

SHRI B. V. NAIK: Before I reply to Shri Banerjee, may I know if the hon. Minister has really presented us with a surprise? There is the statement of 15th July 1974 wherein he has stated. 'This work could not be completed in time to enact legislation for nationalisation before the expiry of the said period of 15 years in certain cases.' Between 15th July 1974 and 28th August 1974, I presume you have completed the evaluation, which had not been done during the last 15 years Thank you, Sir, for this assurance

On the advice of the Chairman, I withdraw my amendment.

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the amendment by Shri B V. Naik be withdrawn?

HON. MEMBERS. Yes.

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Now the question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause 3. There are no amendments. The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: No, we shall take up Clause 1, the Enacting Formula and the Title.

The question is

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The mition was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI. Sir, I beg to move:

That the bill be passed.

MR. CHAIRMAN: Motion moved

"That the Bill be passed".

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan): Sir, so far as the supposed underlying objective of the Bill to give more breathing time to this Government to decide about nationalisation of these supposed sick textile undertakings is concerned, we have supported it. There is no question about it. But, I would like to point out this

The Industries (Development and Regulation) Act, 1951, does not deal only with textile undertakings. This Act applies to several industries. Now, Sir, what is happening to the laws of this country? For the purpose of giving an explanation or trying to shield your inefficiency during the last 15 years, you are changing an Act which has general application; not only in regard to the sick textile mills. Sir, kindly see the misleading impression, I am very sorry to say, which is intended to be given. These 46 undertakings which have been taken over and mentioned in this statement justifying the issuance of the Ordinance, have not been taken over under this Act. They have been taken over under a completely different legislation altogether. They have been tagged on here with a view to give an impression that in regard to those which were taken over in 1972, they did not have sufficient time to consider, and therefore, this Industries (Development and Regulation) Act, 1951, should be amended. I would like to emphasise this. The law as it stands today, until this amendment process is over, gave 15 years time to the Government to remain in management. Now, Sir, is it believable that 15 years time was taken only for evaluating the assets and liabilities? It is ridiculous admission: it is such a hopeless admission of their complete bankruptcy and failure that they have come out with a proposal like this and it is really shameful. You should apply your mind and try to come out with some sort of a plausible explanation which will convince the Members of this House and other people outside. You say that for the purpose of evaluation, 15 years time has been taken. Now, Sir, when was the decision for nationalisation taken for the first time?

MR. CHAIRMAN: 1972.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Therefore, Sir, from 1959 to 1972, what was being done?

SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI: I There was no decision for nationalisation.

18 00 hrs

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Until and unless they decide to nationalise, they go on managing the mills, undertakings, under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. Is that the intention of the Government? Therefore, from 1959 onwards, pending a possible decision 13 years hence, they are in management. Not that I am against nationalisation. We are strongly supporting nationalisation; we are urging the Government to nationalise, not only to nationalise the so called sick industries, some of whom have become sick under your management, but we are also calling upon you to reaffirm to the country that you will nationalise the entire textile industry. We know

[Shri Somnath Chatterji]

of instances. I know of India Fan Works, one of the leading engineering concerns in this country. When the Government took it over, within three years, the liability increased by cent per cent. because of your wonderful management. 3000 workers lost their jobs and during government management, the company went into liquidation.

Therefore, you nationalise it and do not give these specious pleas which are nothing but a shameless admission of your inefficiency. Take over the entire industry and nationalise it. These mills have been under government management for 12 to 13 years. Who were preparing the balance sheets of these companies? The auditors appointed by government must have been doing it. Then what was the difficulty in evaluating the assets and liabilities? For what purpose are you talking of evaluation of assets and liabilities? Are you going to fix the amount of compensation on the basis of gross assets or net assets? Then what was the point in amending the Constitution replacing the word "compensation" by "amount", the adequacy of which cannot be gone into by the courts? Does the ministry know what is the recent decision of the Supreme Court about compensation? What is standing in the way of evaluating the net assets if they have prepared the balance sheets properly all these years? Is the Government saying to the old management that it will be compensated to the full extent of gross assets? If you are going to pay cent per cent compensation, what is the good of this amendment? Is this the attitude of the Government? The real thing is they cannot make up their minds. They do not wish to trouble some of their friends in the so-called affluent textile undertakings. You want to give some benefits to some persons who have mismanaged the undertakings. Give them, but don't give them the benefits which they do not deserve.

SHRI P. M. MEHTA: Sir, the sick mills which are taken over under this Act are old units and after depreciation, the assets are practically nil. The consumers have repaid the authorised capital long back. Therefore, the question of compensation should arise. Therefore, they should not take long time to nationalise all these sick mills.

This Ministry is not cooperating with the Textile Corporation and the Ministry is not taking decisions promptly to make the Corporation work efficiently Regarding the art silk looms, I have urge the Minister to take a decision about the running of art silk looms or they should allow them to transfer or sell to other companies.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह जो अवधि बढाने का बिल है इसका हम समर्थन कर रहा है । मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसी सत्र में जोकि सात सितम्बर तक बढा दिया गया है इन 103 बीमार कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध मे विधेयक वह पेश करेंगे । आप केवल इन्ही 103 का राष्ट्रीयकरण करना चाहते है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह बीमारी बढ़ती जा रही है और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक यह बढ़ती ही जायेगी । आज ये 103 सिक मिलें है जिनका आप राष्ट्रीकरण करेंगे , कल को दूसरी मिलें बीमार हो जायेगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप सम्पूर्ण कपड़ा उद्योग का पूरे का पूरा राष्ट्रीकरण कर दें और इस आशय का बिल लायें । 103 मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देने से समस्या का निदान नहीं होगा । कपड़ा तमाम लोगों को आप तभी दे सकेंगे, मुनाफाखोरी तभी आप रोक सकेंगे, एजारेदारी जो कपड़ा उद्योग में बढ़ रही है इसको आप तभी रोक सकेंगे जब आप तमाम मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दें । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे सही मानों में तब तक समस्या का आखिरी

निदान नही होगा । इस वास्ते मैं चाहता हू कि इस तरह का विधेयक आप लाये ।

लिमये जी ने ठीक ही कहा है कि कानून आप चुस्त और दुरुस्त लाये । कानून जब आप ऐसा नही लाते है जो फिर बीच मे ही उसको बदलना पडता है । यह अच्छी बात नहीं है । आप थोडा बुद्धि से काम ले । आपके पास बडे बडे बुद्धि वाले दिमाग वाले लोग है । गलत कानून आप लाते है तो उसको दुरुस्त करने मे सदन का वक्त जाता है, लोगो मे अविश्वास पैदा होता है । यह बात नही होनी चाहिये ।

हम लोग दूसरे स्थान मे काम करने वाले है । आपका किसी भी स्थिति मे श्रमिक वर्ग के हितो पर कुठाराघात नही होने देना चाहिये । आज यह दिन दहाडे होता है । कानून बन रहने पर भी होते है । श्रमजीवी जनता पर इजारेदार पूंजीपति मिल मालिक उनके प्रबन्धक, नौकरशाह जुल्म करते है । आज देश मे असली हकूमत नौकरशाही के हाथ मे है फिर चाहे व कारखानो मे काम करते हो या कारखानो मे करते है । वर्तमान व्यवस्था के अन्दर व लोग तमाम गडबडी करते है । इन लोगो के बगल मे आप हमारे मजदूर वर्ग को बचाये और उनके पावरो की रक्षा करे । अगर आपने ऐसा किया तो आज इस मुश्किल के जमाने मे व ठीक से सास ले सकेगे जी सकेगे ।

MR CHAIRMAN: The question is

"That the Bill be passed"

The motion was adopted

18.10 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF THE ALCOCK ASHDOWN COMPANY LIMITED (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS) AMENDMENT ORDINANCE, 1974 AND ALCOCK ASHDOWN COMPANY LIMITED (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS) AMENDMENT BILL

MR CHAIRMAN: We now take up item No. 13 and item No 14 together. Shri Madhu Limaye to move his Statutory Resolution.

श्री मधु लिमये (बांका) सभापति जी मैं कोई लम्बा भाषण नही करना चाहता हू। इस अध्यादेश पर और विधेयक पर यहा पर जो बहस हो रही है उसके लिये जो खर्ची हम लोगो को करना पड रहा है वह खर्चा मन्त्री महोदय श्री पाई और कानून मन्त्री श्री गोखले की तनख्वाहो मे से काट लेना चाहिये । इसलिये कि अगर सावधानी से काम लिया जाता जब मूल विधेयक आया था तब तो यह नौबत नही आती । उस समय की आप सदन की कार्यवाही पढ़े तो यह मेरे पास है ? सब लोगो ने कहा था कि यह जो कम्पनी का कर्जा है नार्थब्रिटिश स्कीम है एडवान्सेज है इनके बारे मे आपने सोचा है । आपने कोई सन्तोषजनक जवाब नही दिया और अब आपको इसमे परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होने लगी । इन्होने कारण दिया है उसमे कि यह जो टर्नर मारिसन कम्पनी है यह अपील मे चली गई है ।

18.11 hrs.

[SHRI JAGANNATHRAO JOSHI *in the Chair*]

उसमे कहा है

"An appeal has, however, been filed against the order of the court (delivering possession of the properties of the company to the Central Government) by M/s. Turner Morrison & Company which is a major shareholder of the company and the said company has simultaneously filed a writ petition challenging the vires of the Act. In the writ petition, the applicant is trying